

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 201]
No. 201]

दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 23, 2009/पौष 2, 1931
DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 23, 2009/PAUSA 2, 1931

[रा.रा.क्षे. दि. सं. 264
[N.C.T.D. No. 264

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

**खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्य आयुक्त का कार्यालय
आदेश**

दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2009

सं. फा. 3(4)/2002/एफ एण्ड एस/पी एवं सी/527.—
जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिनांक 9 मार्च, 1998 के आदेश संख्या 9/1/97-एफएंडएस/नीति(11)/252 के अनुसार दिल्ली खाद्य तेल (लाइसेंस एवं नियंत्रण) आदेश, 1974 तथा दिनांक 20 जून, 2002 के आदेश संख्या फा. 3(4)/2002/एफ एण्ड एस/पी एवं सी(3)/17 के अनुसार दिल्ली खाद्यान्न व्यापारी लाइसेंस आदेश, 1988 रद्द करते हैं।

जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल ने कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) भारत सरकार की दिनांक 25 अक्टूबर, 1972 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 452(अ) के द्वारा जारी आदेश के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 12-5-2008 को आदेश दिया कि वह दिल्ली खाद्य तेल (लाइसेंस एवं नियंत्रण), आदेश, 1977 तथा दिल्ली खाद्यान्न व्यापारी लाइसेंस आदेश, 1988 संबंधी क्रमशः दिनांक 9 मार्च, 1998 के आदेश संख्या 9(1)/97-एफएंडएस/पी एवं सी(ii)/252 तथा 20 जून, 2002 के आदेश संख्या फा. 3(4)/2002/एफ एण्ड एस/पी एवं सी(3)/17 उक्त आदेश या आगामी आदेश, जो भी पहले हो, जारी होने की तिथि से 30 सितम्बर, 2009 तक के लिए विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर (द्वितीय 4700 DG/2009

संशोधन) आदेश, 2008 के निवारण (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टॉक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) उपबंधों तक स्थगित रखते हैं।

जबकि केन्द्र सरकार ने उपभोक्ता कार्यकलाप खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता कार्यकलाप विभाग के दिनांक 25 सितम्बर, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2461(अ) के द्वारा विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों संबंधी (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टॉक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) निवारण (छटा संशोधन) आदेश, 2009 जारी किया गया है।

और जबकि पूर्वोक्त आदेश के खंड 2, 3 और 4 में व्यवस्था है:—

2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थ संबंधी (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टॉक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) निवारण आदेश, 2002 में विक्री के लिए क्रय, लाने ले जाने विक्री, पूर्ति, वितरण या भंडारण संबंधी प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्तियां इस आदेश के लागू होने की तिथि से 30 सितम्बर, 2010 तक की आगामी अवधि के लिए वस्तुएं अर्थात् खाद्य तेल, तिलहन एवं चावल के लिए स्थगित रखे जाएंगे।

3. इस आदेश का कुछ भी राज्य से बाहर के स्थानों में खाद्य तेल तिलहन एवं चावल की दुलाई, वितरण या निपटान पर प्रभाव नहीं डालेगा और न ही इन वस्तुओं के आयात पर लागू होगा।

शर्त यह है कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें इन वस्तुओं के स्टॉक की प्राप्ति तथा उनके द्वारा रखे गए स्टॉक की घोषणा करने के लिए आयातकर्ताओं को निर्देश दे सकती है।

व्याख्या: यदि कोई थोक विक्रेता या खुदरा विक्रेता या व्यापारी आयात से प्राप्त अपने स्टॉक के भाग को प्रदर्शित करने में सफल रहता है तब उन्हें स्टॉक सीमा को गणना करने के प्रयोजन के लिए बाहर रखा जाएगा।

4. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थ (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टॉक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) निवारण सम्बन्धी आदेश, 2002 के सभी अन्य उपबंध प्रवृत्त रहेंगे जहां तक उक्त खंड 2 में उल्लिखित अवधि के दौरान थी।

अब इसलिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) भारत सरकार द्वारा दिनांक 9 जून, 1978 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 800 द्वारा जारी आदेश के साथ एजित अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल आदेश देते हैं कि दिल्ली खाद्य तेल (लाइसेंस एवं निबंधन) आदेश, 1977 तथा दिल्ली खाद्यान्न व्यापारी (लाइसेंसिंग) आदेश, 1988 से संबंधित क्रमशः दिनांक 9 मार्च, 1998 के आदेश संख्या 9(1)/97-एफ एवं सी/पी एवं सी(2)/252 तथा दिनांक 20 जून, 2002 के आदेश संख्या 3(4)/2002/एफ एवं एस/पी एवं सी(3)/17 इस आदेश के प्रवृत्त होने की तिथि से 30 सितम्बर, 2010 तक की अवधि में अवधि के लिए विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थ संबंधी (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टॉक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) निवारण (चौथा संशोधन) आदेश, 2009 के उपबंधों को सीमा तक स्थगित रखा जाएगा।

DEPARTMENT OF FOOD, SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS

ORDER

Delhi, the 23rd December, 2009

No. F. 3(4)/2002/F&S/P&C/527. —Whereas, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, rescinded the Delhi Edible Oils (Licensing and Control) Order, 1977, vide Order No. 9(1)/97-F&S(P&C)/II/252 dated 9th March, 1998, and Delhi Foodgrains Dealers Licensing Order, 1988 vide Order No. F 3(4)/2002/F&S(P&C)/(3)/17 dated the 20th June, 2002;

Whereas, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, in exercise of powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with the Order issued by the Government of India, Ministry of Agriculture (Department of Food) vide Notification No. G.S.R. 452 (E) dated the 25th October, 1972 ordered on 18th May, 2009 that Order No. 9(1)/97-F&S(P&C)/II/252 dated the 9th March, 1998 and Order No. F.3(4)/2002/F&S/P&C/(3)/17 dated the 20th June, 2002 relating to the Delhi Edible Oils (Licensing and Control) Order, 1977 and the Delhi Foodgrain Dealers Licensing Order, 1988, respectively, shall be kept in abeyance, to the extent of the provision of the Removal of (Licensing requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Second Amendment) Order, 2008;

for a further period up to 30th September, 2009, from the date of issue of the said order or further order, whichever is earlier;

Whereas the Central Government vide Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution Department of Consumer Affairs, Notification No. S.O. 2461(E) dated 25th September, 2009 has issued the Removal of (Licensing requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Sixth Amendment) Order, 2009;

And whereas clauses 2, 3 and 4 of the aforesaid Orders provides :—

"2. The words and expressions used in respect of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale in the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 shall be kept in abeyance for commodities, namely, edible oils, edible oilseeds and rice for a further period up to 30th September, 2010 from the date of commencement of this order.

3. Nothing contained in this order shall affect the transport, distribution or disposal of edible oils, edible oilseeds and rice to places outside the State, nor shall it be applicable to import of these commodities :

Provided that the Central Government or State Governments may direct the importers to declare the receipts of stocks of these commodities, and stocks retained by them.

Explanation: If a wholesaler or retailer or dealer is able to demonstrate that part of his or her stocks are sourced from imports, then these would be excluded for the purpose of calculation of stock limits.

4. All other provisions of the Removal of (Licensing requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 shall continue to remain in force even during the period mentioned in clause 2 above."

Now, therefore, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, in exercise of powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with the order issued by the Government of India, Ministry of Agriculture (Department of Food) Notification No. G.S.R. 800 dated the 9th June, 1978, hereby orders that Order No. 9(1)/97-F&C(P&C)/(II)/252 dated the 9th March, 1998 and Order No. F.3(4)/2002/F&S/P&C/(3)/17 dated the 20th June, 2002 relating to the Delhi Edible Oils (Licensing and Control) Order, 1977 and the Delhi Foodgrain Dealers Licensing Order 1988, respectively, shall be kept in abeyance, to the extent of the provisions of the Removal of (Licensing requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Fourth Amendment) Order 2009; for a further period up to 30th September, 2010 from the date of commencement of this Order.

सं. फा. 3(4)/2002/एफ एण्ड एस/पी व सी/528.—
जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल,

दिनांक 12 जुलाई, 2004 के आदेश संख्या 3/17/2003- एफ एंड एस/नीति(1)/206 के अनुसार दिल्ली दाल (व्यापारी लाइसेंसिंग), आदेश, 1974 रद्द करते हैं ;

जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली दाल (लाइसेंस एवं नियंत्रण), आदेश, 1974 संबंधी 18 मई, 2009 के आदेश संख्या 3(4)/2002/एफ एंड एस/पी एंड सी/163 के अनुसार आदेश किए गए कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग), भारत सरकार के दिनांक 25 अक्टूबर, 1972 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 452(अ)के द्वारा जारी आदेश के साथ पठित अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश या आगामी आदेश, जो भी पहले हो, जारी होने की तिथि से 30 सितम्बर, 2009 तक की आगामी अवधि के लिए विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर (तृतीय संशोधन) आदेश, 2008 के निवारण (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टॉक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) उपबंधों तक स्थगित करते हैं;

जबकि केन्द्र सरकार ने उपभोक्ता कार्यकलाप खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता कार्यकलाप विभाग के दिनांक 25 सितम्बर, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2461(अ) के द्वारा विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों संबंधी (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टॉक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) निवारण (छठा संशोधन) आदेश, 2009 जारी किया गया है;

और जबकि पूर्वोक्त आदेश के खंड 1(2), 2, 3 और 4 में व्यवस्था है :—

“1(2) यह अक्टूबर, 2009 के प्रथम दिन प्रभावी होगा।

2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टॉक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) निवारण आदेश, 2002 में विक्री के लिए क्रय, लाने ले जाने विक्री, पूर्ति, वितरण या भंडारण संबंधी प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्तियां इस आदेश के लागू होने की तिथि से 30 सितम्बर, 2010 तक की आगामी अवधि के लिए वस्तुएं अर्थात् दाल के लिए स्थगित रखे जाएंगे।

3. इस आदेश का कुछ भी राज्य से बाहर के स्थानों में दालों एवं धान की दुलाई, वितरण या निपटान पर प्रभाव नहीं डालेगा या न ही इन वस्तुओं के आयात पर लागू होगा।

शर्त यह है कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें इन वस्तुओं के स्टॉक की प्राप्ति तथा उनके द्वारा रखे गए स्टॉक की घोषणा करने के लिए आयातकर्ताओं को निर्देश दे सकती है।

व्याख्या: यदि कोई थोक विक्रेता या खुदरा विक्रेता या व्यापारी आयात से प्राप्त अपने स्टॉक के भाग को प्रदर्शित करने में सफल रहता है तब उन्हें स्टॉक सीमा की गणना करने के प्रयोजन के लिए बाहर रखा जाएगा।

4. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थ संबंधी (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टॉक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) के निवारण संबंधी आदेश, 2002 के सभी अन्य उपबंध प्रवृत्त रहेंगे जहां तक उक्त खंड 2 में उल्लिखित अवधि के दौरान थी।”

अब इसलिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) भारत सरकार द्वारा दिनांक 9 जून, 1978 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 800 द्वारा जारी आदेश के साथ

पठित अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल आदेश देते हैं कि दिल्ली दाल (व्यापारी का लाइसेंस), आदेश, 1974 से संबंधित 12 जुलाई, 2004 के आदेश संख्या 3(17)/2003-एफ एंड एस/नीति(1)/206 इस आदेश के प्रवृत्त होने की तिथि से 30 सितम्बर, 2010 तक की आगामी अवधि के लिए विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थ संबंधी (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टॉक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) निवारण आदेश, 2009 के उपबंधों की सीमा तक स्थगित रखा जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

आर. डी. शर्मा, सहायक आयुक्त (नीति एवं समन्वय)

No. F. 3(4)/2002/F&S/P&C/528.—Whereas, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, rescinded the Delhi Pluses (Licensing of Dealer) Order, 1974, vide Order No. F. 3(17)/2003/F&S/Policy (1)/206 dated the 12th July, 2004;

Whereas, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, in exercise of powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with the Order issued by the Government of India, Ministry of Agriculture (Department of Food) vide Notification No. G.S.R. 452 (E) dated the 25th October, 1972 ordered vide Order No. F. 3(4)/2002/F&S/P&C/163 dated the 18th May, 2009 relating to Delhi Pluses (Licensing of Dealer) Order, 1974 shall be kept in abeyance, to the extent of the provision of the Removal of (Licensing requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Third Amendment) Order, 2008; for a further period up to 30th September, 2009, from the date of issue of the said order or further order, whichever is earlier;

Whereas the Central Government vide Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, Notification No. S.O 2461(E) dated 25th September, 2009 has issued the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Sixth Amendment) Order, 2009;

And whereas clause 1(2), 2, 3 and 4 of the aforesaid orders provides :—

“1(2) It shall come into force on the first day of October, 2009.

2. The words and expressions used in respect of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale in the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 shall be kept in abeyance for commodities, namely, pulses for a further period up to 30th September, 2010 from the date of commencement of this order.

3. Nothing contained in this order shall affect the transport, distribution or disposal of pulses to be made

दिनांक 12 जुलाई, 2004 के आदेश संख्या 3/17/2003- एफ एंड एस/नीति(1)/206 के अनुसार दिल्ली दाल (व्यापारी लाइसेंसिंग), आदेश, 1974 रद्द करते हैं ;

जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली दाल (लाइसेंस एवं नियंत्रण), आदेश, 1974 संबंधी 18 मई, 2009 के आदेश संख्या 3(4)/2002/एफ एंड एस/पी एण्ड सी/163 के अनुसार आदेश किए गए कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग), भारत सरकार के दिनांक 25 अक्टूबर, 1972 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 452(अ)के द्वारा जारी आदेश के साथ पठित अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश या आगामी आदेश, जो भी पहले हो, जारी होने की तिथि से 30 सितम्बर, 2009 तक की आगामी अवधि के लिए विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर (तृतीय संशोधन) आदेश, 2008 के निवारण (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टॉक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) उपबंधों तक स्थगित करते हैं;

जबकि केन्द्र सरकार ने उपभोक्ता कार्यकलाप खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता कार्यकलाप विभाग के दिनांक 25 सितम्बर, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2461(अ) के द्वारा विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों संबंधी (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टॉक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) निवारण (छठा संशोधन) आदेश, 2009 जारी किया गया है;

और जबकि पूर्वोक्त आदेश के खंड 1(2), 2, 3 और 4 में व्यवस्था है :-

"1(2) यह अक्टूबर, 2009 के प्रथम दिन प्रभावी होगा ।

2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टॉक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) निवारण आदेश, 2002 में चिकनी के लिए क्रय, लाने ले जाने चिकनी, पूर्ति, वितरण या भंडारण संबंधी प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्तियाँ इस आदेश के लागू होने की तिथि से 30 सितम्बर, 2010 तक की आगामी अवधि के लिए वस्तुएं अर्थात् दाल को लिए स्थगित रखे जाएंगे ।

3. इस आदेश का कुछ भी राज्य से बाहर के स्थानों में दालों एवं धान की दुलाई, वितरण या निपटान पर प्रभाव नहीं डालेगा या न हो इन वस्तुओं के आयात पर लागू होगा ।

शर्त यह है कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें इन वस्तुओं के स्टॉक की प्राप्ति तथा उनके द्वारा रखे गए स्टॉक की घोषणा करने के लिए आयातकर्ताओं को निर्देश दे सकती हैं ।

व्याख्या: यदि कोई थोक विक्रेता या खुदरा विक्रेता या व्यापारी आयात से प्राप्त अपने स्टॉक के भाग को प्रदर्शित करने में सफल रहता है तब उन्हें स्टॉक सीमा की गणना करने के प्रयोजन के लिए बाहर रखा जाएगा ।

4. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थ संबंधी (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टॉक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) के निवारण संबंधी आदेश, 2002 के सभी अन्य उपबंध प्रवृत्त रहेंगे जहां तक उक्त खंड 2 में उल्लिखित अवधि के दौरान थी ।"

अब इसलिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) भारत सरकार द्वारा दिनांक 9 जून, 1978 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 800 द्वारा जारी आदेश के साथ

पठित अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल आदेश देते हैं कि दिल्ली दाल (व्यापारी लाइसेंसिंग) आदेश, 1974 से संबंधित 12 जुलाई, 2004 के आदेश संख्या 3(17)/2003-एफ एंड एस/नीति(1)/206 इस आदेश के प्रवृत्त की तिथि से 30 सितम्बर, 2010 तक की आगामी अवधि के लिए विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थ संबंधी (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टॉक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) निवारण आदेश, 2009 के उपबंधों सीमा तक स्थगित रखा जाएगा ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
आदेश से तथा उनके नाम

आर. डी. शर्मा, महायुक्त आयुक्त (नीति एवं समन

No. F. 3(4)/2002/F&S/P&C/528.—Whereas, Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi has rescinded the Delhi Pulses (Licensing of Dealer) Order, 1974, vide Order No. F. 3(17)/2003/F&S/Policy(1)/206 dated the 12th July, 2004;

Whereas, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, in exercise of powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (1955) read with the Order issued by the Government of India, Ministry of Agriculture (Department of Food) by Notification No. G.S.R 452 (E) dated the 25th October, 1972, ordered vide Order No. F. 3(4)/2002/F&S/P&C/163 dated the 18th May, 2009 relating to Delhi Pulses (Licensing of Dealer) Order, 1974 shall be kept in abeyance, to the extent of the provision of the Removal of (Licensing requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Third Amendment) Order, 2008; for a further period up to 30th September, 2009, from the date of issue of the said order or further order, whichever is earlier;

Whereas the Central Government vide Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution Department of Consumer Affairs, Notification No. F. 2461(E) dated 25th September, 2009 has issued the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Sixth Amendment) Order, 2009;

And whereas clause 1(2), 2, 3 and 4 of the aforesaid orders provides :-

"1(2) It shall come into force on the first day of October, 2009.

2. The words and expressions used in respect of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale in the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 shall be kept in abeyance for commodities namely, pulses for a further period up to 30th September, 2010 from the date of commencement of this order.

3. Nothing contained in this order shall affect the transport, distribution or disposal of pulses to public

outside the State, nor shall it be applicable to import of these commodities:

Provided that the Central Government or State Governments may direct the importers to declare the receipts of stocks of these commodities, and stocks retained by them.

Explanation: If a wholesaler or retailer or dealer is able to demonstrate that part of his or her stocks are sourced from imports, then they would be excluded for the purpose of calculation of stock limits.

4. All other provisions of the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 shall continue to remain in force even during the period mentioned in clause 2 above.

Now, therefore, the Lt. Governor of National Capital

Territory of Delhi, in exercise of powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with the order issued by the Government of India, Ministry of Agriculture (Department of Food) Notification No. G.S.R. 800 dated the 9th June, 1978, hereby orders that Order No. F. 3(17)/2003/F&S/(Policy)(1)/206 dated the 12th July, 2004 relating to the Delhi Pulses (Licensing of Dealer) Order, 1974 shall be kept in abeyance, to the extent of the provisions of the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Fourth Amendment) Order, 2009; for a further period up to 30th September, 2010 from the date of commencement of this Order.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

R. D. SHARMA, Asst. Commissioner (P&C)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2009

सं. फा. 32(13)/2009/स्वा. एवं परि. कल्याण/9183.—दिल्ली चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1997 (1997 का दिल्ली अधिनियम संख्या 5) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार दिल्ली चिकित्सा परिषद् के निम्नलिखित सदस्यों का नाम प्रकाशित करती है :—

| क्र.सं. | नाम | श्रेणी जिसमें नामांकित/चयनित किया गया |
|---------|---|---------------------------------------|
| 1. | डॉ. अशोक सेठ | धारा 3 की उप-धारा (3) खंड (क) |
| 2. | डॉ. नवीन डांग | -वही- |
| 3. | डॉ. अरविंद चौपड़ा | -वही- |
| 4. | डॉ. पुरुषोत्तम लाल | -वही- |
| 5. | डॉ. ए. के. अग्रवाल - मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज | धारा 3 की उप-धारा (3) खंड (ख) |
| 6. | डॉ. जी. के. शर्मा - लेडी डॉइंग मेडिकल कॉलेज | -वही- |
| 7. | डॉ. ओ. पी. कालरा - विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान कॉलेज | -वही- |
| 8. | डॉ. पी. गुप्ता - वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज | -वही- |
| 9. | डॉ. भनोज सिंह - अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान | -वही- |
| 10. | डॉ. विनय राय - आर्म्स कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस | -वही- |
| 11. | डॉ. अनिल बंसल | धारा 3 की उप-धारा (3) खंड (ग) |
| 12. | डॉ. अजय गम्भीर | -वही- |
| 13. | डॉ. के. के. अग्रवाल | -वही- |
| 14. | डॉ. प्रवीण भाटिया | -वही- |
| 15. | डॉ. नरेन्द्र पाल सिंह | -वही- |
| 16. | डॉ. विनय कुमार अग्रवाल | -वही- |
| 17. | डॉ. अनिल गोयल | -वही- |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|---|-------------------------------|
| 18. | डॉ. चंद्र प्रकाश | धारा 3 की उप-धारा (3) खण्ड ग |
| 19. | डॉन - मेडिकल फैकल्टी, दिल्ली विश्वविद्यालय - पदेन सदस्य | धारा 3 की उप-धारा (3) खंड (घ) |
| 20. | निदेशक स्वास्थ्य सेवा निदेशालय - पदेन सदस्य | धारा 3 की उप-धारा (3) खंड (ङ) |

उक्त अधिनियम के प्रावधानों की शर्त पर उक्त सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से पांच वर्ष का होगा।

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd December, 2009

No. F. 32(13)/2009/H & FW/9183.—In exercise of the powers conferred under Section 4, sub-section (1) of Delhi Medical Council Act, 1997 (Delhi Act 5 of 1997), the Government of National Capital Territory of Delhi is pleased to publish the names of Members of the Delhi Medical Council, as under :—

| Sl. No. | Name | Clause under which nominated/elected |
|---------|---|--|
| 1. | Dr. Ashok Seth | Clause (a) of sub-section (3) of Section |
| 2. | Dr. Navin Dang | Clause (a) of sub-section (3) of Section |
| 3. | Dr. Arvind Chopra | Clause (a) of sub-section (3) of Section |
| 4. | Dr. Purshotam Lal | Clause (a) of sub-section (3) of Section |
| 5. | Dr. A. K. Aggarwal - Maulana Azad Medical College | Clause (b) of sub-section (3) of Section |
| 6. | Dr. G. K. Sharma - Lady Hardinge Medical College | Clause (b) of sub-section (3) of Section |
| 7. | Dr. O. P. Kalra - University College of Medical Sciences | Clause (b) of sub-section (3) of Section |
| 8. | Dr. B. Gupta - Vardhman Mahavir Medical College | Clause (b) of sub-section (3) of Section |
| 9. | Dr. Manoj Singh - All India Institute of Medical Sciences | Clause (b) of sub-section (3) of Section |
| 10. | Dr. Brig. Vinay Rai - Army College of Medical Sciences | Clause (b) of sub-section (3) of Section |
| 11. | Dr. Anil Bansal | Clause (c) of sub-section (3) of Section |
| 12. | Dr. Ajay Gambhir | Clause (c) of sub-section (3) of Section |
| 13. | Dr. K. K. Aggarwal | Clause (c) of sub-section (3) of Section |
| 14. | Dr. Praveen Bhatia | Clause (c) of sub-section (3) of Section |
| 15. | Dr. Narender Pal Singh | Clause (c) of sub-section (3) of Section |
| 16. | Dr. Vinay Kumar Aggarwal | Clause (c) of sub-section (3) of Section |
| 17. | Dr. Anil Goyal | Clause (c) of sub-section (3) of Section |
| 18. | Dr. Chander Prakash | Clause (c) of sub-section (3) of Section |
| 19. | Dean, Medical Faculty, University of Delhi - (Ex-officio) | Clause (d) of sub-section (3) of Section |
| 20. | Director, Health Services, Government of National Capital Territory of Delhi - (Ex-officio) | Clause (e) of sub-section (3) of Section |

Subject to provisions of the aforesaid Act, the Term of Office of the above Members shall be five years from the date of publication of this Notification.

सं. फा. 70/49/2006/स्वा. एवं परि. कल्या./पाट
फा.-IV-/9192.-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक
24-9-1968 के कार्यालय ज्ञापन सं. 24/78/68-डीएच(एच) के
साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली स्वास्थ्य सेवा
(एलोपैथी) की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम
बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्ष एवं प्रारम्भ.—(1) ये नियम दिल्ली स्वास्थ्य
सेवा (एलोपैथी) नियमावली, 2009 कहे जायेंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी
होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा
अपेक्षित न हो :-

- (क) "आयोग" का अर्थ है संघ लोक सेवा आयोग से;
- (ख) "नियंत्रण प्राधिकारी" का अर्थ है स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार;
- (ग) "विभागीय पदोन्नति समिति" का अर्थ है समूह "क"
विभागीय पदोन्नति समिति जो सेवा के समूह "क" में
पदोन्नति या स्थायीकरण के मामलों के विचारार्थ अनुसूची IV
में विनिर्दिष्ट है;
- (घ) "इयूटी पद" का अर्थ है कोई ऐसा पद जो अनुसूची II में
विनिर्दिष्ट है, स्थायी हो या अस्थायी;
- (ङ) "सरकार" का अर्थ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उप-राज्यपाल;
- (च) "ग्रेड" का अर्थ है अनुसूची I में विनिर्दिष्ट कोई ग्रेड;
- (छ) "अनुसूची" का अर्थ है इस नियमावली की अनुसूची;
- (ज) "सेवा" का अर्थ है दिल्ली स्वास्थ्य सेवा (एलोपैथी);
- (झ) "उप-संवर्ग" का अर्थ है सेवा की कोई दो विधाएं अर्थात्
सामान्य इयूटी तथा गैर-शिक्षण विशेषज्ञ जैसी भी स्थिति
हो।

3. सेवा का संघटन.—सेवा में शामिल सभी इयूटी पद
केन्द्रीय सिविल सेवा समूह "क" के रूप में वर्गीकृत होंगे तथा ग्रेड,
वेतनमान, गैर-प्रैक्टिस भत्ता तथा अन्य मामले अनुसूची I में यथा
विनिर्दिष्ट रूप में होंगे।

4. सेवा की अधिकृत संख्या.—(i) इस नियमावली के
प्रवृत्त होने की तिथि पर सेवा के विभिन्न ग्रेडों में शामिल इयूटी पदों
की अधिकृत संख्या अनुसूची 2 में यथा विनिर्दिष्ट रूप में होगी;

(ii) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात् विभिन्न ग्रेडों में
इयूटी पदों की अधिकृत स्थाई संख्या सरकार द्वारा
समय-समय पर निर्धारित संख्या के अनुसार होगी;

(iii) सरकार समय-समय पर जैसा आवश्यक समझे, विभिन्न
ग्रेडों में इयूटी पदों की संख्या में अस्थायी बढ़ोतरी या कमी
कर सकती है;

(iv) सरकार, आयोग के परामर्श से, अनुसूची 2 में शामिल पदों
को छोड़कर किसी भी पद को सेवा में शामिल कर सकती
है या उक्त अनुसूची में शामिल पद को सेवा से निकाल
सकती है।

(v) सरकार, आयोग के परामर्श से, किसी ऐसे अधिकारी को
जिसका पद उप-नियम (iv) के अन्तर्गत सेवा में शामिल
किया गया हो, सेवा के समुचित ग्रेड में अस्थायी रूप में या
मौलिक रूप में, जैसा भी उचित समझे, नियुक्त कर
सकती है तथा समरूप ग्रेड में उसकी लगातार नियमित
सेवा को ध्यान में रखते हुए ग्रेड में उसकी वरिष्ठता को
निश्चित कर सकती है;

(vi) प्रत्येक उप-संवर्ग (एसएजी के पदों को छोड़कर) में
कुल पद संख्या का दस प्रतिशत तक सेवा में प्रशिक्षण/
अवकाश/प्रतिनियुक्ति आरक्षित के रूप में शामिल किया
जायेगा।

(vii) सामान्य इयूटी चिकित्सा अधिकारी (जीडीएमओ) उप-संवर्ग
चिकित्सा अधिकारी (5,400 रुपये ग्रेड पे पीबी-3) में जिन
अधिकारियों ने 5,400 रुपये के ग्रेड पे पीबी-3 में चार वर्षों
की सेवा की है जिसमें संशोधन पूर्व 8000-13,500 रुपये में
की गई सेवा भी शामिल है वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी
(6,600 रुपये के ग्रेड पे पीबी-3 में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी
के रूप में पांच वर्षों की नियमित सेवा है जिसमें पूर्व
संशोधित 10,000-15,200 रुपये के पूर्व संशोधित वेतनमान
में की गई सेवा भी शामिल है मुख्य चिकित्सा अधिकारी
(7,600 रुपये ग्रेड पे पीबी-3) के पद पर पदोन्नति के
पात्र होंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इस ग्रेड में संशोधन
पूर्व 12,000-16,500 रुपये के वेतनमान में की गई सेवा
सहित पे बैंड-3 में ग्रेड पे 7,600 रुपये में 4 (चार) वर्षों
की सेवा उपरान्त, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (नॉन फंक्शनल
सिलेक्शन ग्रेड) के ग्रेड में 8,700 रुपये ग्रेड पे के पद पर
पदोन्नति किए जाने के योग्य होंगे। तत्पश्चात् कोई मुख्य
चिकित्सा अधिकारी (एनएफएसजी) जिसने
14,300-18,300 रुपये के पूर्व संशोधित वेतनमान में की
गई सेवा सहित पे बैंड-4 में 8,700 रुपये के ग्रेड में सात
वर्ष की सेवा की हो या 20 वर्षों की निवृत्त सेवा की हो
वे ग्रेड पे 10,000 रुपये पे बैंड-4 सहित एसएजी ग्रेड में
पदोन्नति के लिये योग्य होंगे। चिकित्सा अधिकारी से
एसएजी ग्रेड के वेतनमान में पदोन्नतियां, रिक्तियों से
नहीं जुड़ी होंगी।

10,000-15,200 रुपये के पूर्व संशोधित वेतनमान में की गई
सेवा सहित पे बैंड-3 में 6,600 रुपये के ग्रेड में दो वर्ष की नियमित
सेवा के उपरान्त कोई गैर-शिक्षण विशेषज्ञ ग्रेड-III, पे बैंड-3 ग्रेड पे

7600 रुपये के गैर-शिक्षक उप-संवर्ग के विशेषज्ञ अधिकारी ग्रेड-II, के पद पर पदोन्नति के पात्र होंगे। 12,000-16,500 रुपये के पूर्व संशोधित वेतनमान में की गई सेवा सहित पे बैंड-3 में 7,600 रुपये के ग्रेड पे में 4 वर्ष की नियमित सेवा के उपरंत कोई गैर-शिक्षक विशेषज्ञ अधिकारी ग्रेड-II, पे बैंड-4 में ग्रेड पे 8,700 रुपये पर गैर-शिक्षक विशेषज्ञ ग्रेड-1 में पदोन्नत किए जाने के लिये योग्य होंगे। इसके अतिरिक्त 14,300-18,300 रुपये के पूर्व संशोधित वेतनमान में की गई सेवा सहित पे बैंड-4 में ग्रेड पे 8,700 रुपये में सात वर्ष की नियमित सेवा उपरंत कोई गैर-शिक्षक विशेषज्ञ ग्रेड-1, पे बैंड-4 में 10,000 रुपये के ग्रेड पे सहित एसएजी ग्रेड में पदोन्नति किए जाने के लिये योग्य होंगे।

5. सेवा के सदस्य - (i) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे, अर्थात् :-

- (क) नियम 4 के उप-नियम (5) के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति
- (ख) नियम 6 के अन्तर्गत ड्यूटी पदों पर नियुक्त व्यक्ति; तथा
- (ग) नियम 7 के अन्तर्गत ड्यूटी पदों पर नियुक्त व्यक्ति।

(ii) उप-नियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त व्यक्ति इस नियुक्ति पद के पश्चात् अनुसूची 2 में उस पर लागू समुचित ग्रेड में सेवा का सदस्य माना जायेगा।

(iii) उप-नियम (1) के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति की तिथि से अनुसूची 2 में उस पर लागू समुचित ग्रेड में सेवा का सदस्य होगा।

6. सेवा का प्रारंभिक गठन - (1) केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 1996 के अन्तर्गत नियुक्त वे सभी अधिकारी जो इस नियमावली के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से दिल्ली सरकार में कार्यरत हैं और जो इस सेवा का भाग होने का विकल्प चुनते हैं, इस नियमावली के अन्तर्गत नियुक्त माने जायेंगे तथा वे संबंधित ग्रेडों में सेवा के सदस्य होंगे।

(2) 18 दिसम्बर, 2006 को अर्थात् दिल्ली सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं. फा. 70/49/2006-स्वा. एवं परि. कल्या/एसएसएचएफडब्ल्यू/463-475, दिनांक 18 दिसम्बर, 2006 के जारी होने की तिथि को या उससे पहले अनुबंध आधार/तदर्थ आधार पर नियुक्त सभी अधिकारियों को आयोग द्वारा मूल्यांकित उपयुक्तता तथा अपेक्षित शैक्षिक योग्यताओं तथा अनुभव के आधार पर पद के लिए निर्धारित किया जायेगा तथा दुरुस्त पाये जाने पर इन नियमों के अंतर्गत नियुक्त मानकर उन्हें सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी या गैर-अध्यापन विशेषज्ञ, जैसी भी स्थिति हो, का उप-संवर्ग प्रदान किया जायेगा तथा वे प्रारंभिक गठन स्तर पर संबंधित उप-संवर्ग के प्रविष्टि स्तर पर सेवा के सदस्य होंगे।

7. सेवा का अनुरक्षण - (1) अनुसूची 2 में उल्लिखित किन्हीं ग्रेडों में रिक्त पदों को इस नियमावली में इसके पश्चात् तथा-उपरोक्त रूप से भरा जायेगा।

(2) भर्ती पद्धति, पदोन्नति के लिए चयन क्षेत्र जिसमें सेवा में शामिल संबंधित उप-संवर्गों तथा संबंधित उप-संवर्ग में विशेषज्ञता पर नियुक्ति या पदोन्नति के लिए तत्काल निचले ग्रेड या ग्रेडों में, जैसी भी स्थिति हो, न्यूनतम अर्हक सेवा शामिल है अनुसूची-III में तथा-विनिर्दिष्ट रूप में होंगे।

(3) (i) विभागीय पदोन्नति संबंधित उप-संवर्ग के अधिकारियों तक सीमित रहेगी;

(ii) संबंधित उप-संवर्ग में उच्चतर पदों पर विभागीय पदोन्नति तुरन्त निचले ग्रेड या ग्रेडों, जैसी भी स्थिति हो, के सेवा के अधिकारियों में से अनुसूची IV के अनुसार गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर की जायेगी।

(4)(क) सेवा में विभिन्न ड्यूटी पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये न्यूनतम शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं, अनुभव तथा आयु-सीमा अनुसूची V के अनुसार होंगी;

(ख) अनुसूची-VI में विनिर्दिष्ट सुपरस्पेशलिटी के पदों पर सीधी भर्ती जिसके लिये न्यूनतम अनिवार्य योग्यता डॉक्टर आफ पैडिसिन या मैजिस्टर चिरूरजी (एमसीएच) या सनकक्ष में 6,600 रुपये ग्रेड पे पीबी-3 (संशोधन पूर्व वेतनमान 10,000-15,200 रुपये) है, में होंगी;

(ग) मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर योग्यता अनुसूची VI के अनुसार होंगी।

टिप्पण : (i) सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग में चिकित्सा अधिकारी, करिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एनएफएसजी) एवं एसएजी के पद तथा गैर-अध्यापन उप-संवर्गों में विशेषज्ञ ग्रेड-III, विशेषज्ञ ग्रेड-II, विशेषज्ञ ग्रेड-I एवं एसएजी के पद पदोन्नति के उद्देश्य के लिये संबंधित उप-संवर्गों में परस्पर परिवर्तनीय होंगे;

(ii) उपरोक्त ग्रेडों (प्रविष्टि ग्रेडों को छोड़कर) में पदोन्नति एसएजी स्तर तक रिक्तियों की संख्या से होंगे।

8. प्रतिनियुक्ति द्वारा ड्यूटी पदों को भरना (अल्पावधि अनुबंध सहित) - (1) नियम 7 में कुछ भी होते हुए जहां सरकार का मत है कि पदों को भरना आवश्यक या समीचीन है तो लिखित अभिलेखबद्ध कारणों से सामान्य ड्यूटी उप-संवर्ग में चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में तथा गैर-अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड-3 के

ग्रेडों में केन्द्र सरकार (रेलवे एवं रक्षा मंत्रालयों सहित)/अन्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन समरूप पदधारी उपयुक्त अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा या साँविधिक निकायों, स्वायत्त निकायों, अर्ध-शासकीय संगठनों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त शोध संस्थानों से आयोग के परामर्श से समरूप पदधारी उपयुक्त अधिकारियों के अल्पावधि अनुबंध द्वारा ड्यूटी पद भरे जायेंगे जो पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे :

बशर्ते कि प्रतिनियुक्ति पर भरे गये पदों के विषय में सरकार को आयोग के परामर्श से केवल गैर-अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में आमेलन पर नियुक्ति पर विचार का अधिकार होगा ।

- (2) प्रतिनियुक्ति या अनुबंध की अवधि सामान्य तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी जो विशेष परिस्थितियों में, यदि सरकार उचित समझती है पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है ।
- (3) प्रतिनियुक्ति या आमेलन आधार पर ड्यूटी पदों पर नियुक्ति के लिये अधिकारी अन्य के साथ-साथ इस नियमावली की अनुसूची-V में पदों के लिये निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं को भी पूरा करेंगे ।

9. वरिष्ठता.—(1) संबन्धित उप-संवर्ग के किसी ग्रेड में नियुक्ति सेवा के सदस्य के परस्पर वरिष्ठता क्रम या सेवा के उप-संवर्ग को सम्बद्ध विशिष्टता में, जैसी भी स्थिति हो, उप-नियम 6(1) के अन्तर्गत सेवा के प्रारंभिक गठन के समय नियम 6(1) के अन्तर्गत ग्रेड में नियुक्त सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता इस नियमावली के लागू होने की तिथि पर प्राप्त की गई वरिष्ठता के अनुसार होगी :

बराते कि यदि ऐसे किसी सदस्य की वरिष्ठता उक्त तिथि के विनिर्दिष्ट रूप से निर्धारित नहीं की गई है तो इसका निर्धारण इस नियमावली के लागू होने से पूर्व सदस्य की सेवा पर लागू वरिष्ठता को निश्चित करने संबंधी नियमों के आधार पर या आयोग के साथ परामर्श करके, जैसी भी स्थिति हो, के आधार पर किया जाएगा ।

- (2) जिन अधिकारियों की नियुक्ति नियम 6 (1) के अन्तर्गत हुई है उन्हें छोड़कर अन्य अधिकारियों की वरिष्ठता का निर्धारण इस विषय में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी सामान्य आदेशों के अनुसार किया जायेगा ।
- (3) नियम 4 के उप-नियम (5) के अनुसार सेवा में पत्नी व्यक्तियों की वरिष्ठता उसमें उपबाधित रूप में निश्चित की जायेगी ।
- (4) प्रारंभिक गठन की अवस्था पर तैनाती से पूर्व सौकेदा आधार/तदर्थ आधार पर कार्य कर चुके डाक्टरों द्वारा ली गई वेतनवृद्धियाँ जिनका, यदि बचाव किया गया हो, तो वह सेवा काल निर्धारण के लिये या प्रारंभिक गठन के समय

उनकी तैनाती के बाद समभयमान के आधार पर पद्योन्नति के लिये वरिष्ठता हेतु विचारणीय नहीं होगा ।

10. परिवीक्षा.—(1) प्रारंभिक गठन के माग के रूप में नियुक्त अधिकारियों के अतिरिक्त सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त प्रत्येक अधिकारी दो वर्ष के लिये परिवीक्षा पर होगा । प्रावधान है कि नियंत्रण प्राधिकारी समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकते हैं । आगे प्रावधान है कि परिवीक्षा अवधि को बढ़ाने का निर्णय सामान्यतः पिछली परिवीक्षा अवधि के बीतने पर तथा आठ सप्ताह के भीतर लिया जायेगा तथा ऐसा किये जाने के कारणों को बताते हुये उक्त अवधि में संबंधित अधिकारी को लिखित रूप में सूचित किया जायेगा ।

(2) परिवीक्षा या बढ़ी हुई परिवीक्षा अवधि के पूर्ण होने पर यदि उपयुक्त समझा जाता है तो अधिकारी को पद पर स्थाई भोषित किया जायेगा यदि उसे पहले प्रविष्टि ग्रेड में स्थान नहीं किया गया था ।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या उसकी विस्तारित अवधि जैसी भी स्थिति हो, के दौरान सरकार का विचार है कि कोई अधिकारी स्थाई नियुक्ति के लिये उपयुक्त नहीं है तो सरकार उसे बर्खास्त कर सकती है या सेवा में उसकी नियुक्ति से पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर जैसी भी स्थिति हो, प्रत्यावर्तन कर सकती है ।

(4) परिवीक्षा या इसकी विस्तारित अवधि के दौरान परिवीक्षा के संतोषजनक पूर्ण करने की शर्त के रूप में सरकार यथापेक्षित किसी परीक्षा तथा परीक्षाओं को उत्तीर्ण (हिन्दी में परीक्षा सहित) करने के लिये अधिकारी को किसी पाठ्यक्रम तथा शिक्षण लेने के लिये कह सकती है ।

(5) जहाँ तक परिवीक्षा से संबंधित अन्य मामलों का संबंध है, सदस्यों की सेवा इस संबंध में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार नियंत्रित की जायेगी ।

11. सेवा में नियुक्ति.—सेवा में सीधी भर्ती तथा प्रतिनियुक्ति आधार पर (अल्पकालिक सविदा सहित)/आमेलन के आधार पर सभी नियुक्तियाँ आयोग से परामर्श करके की जाएगी ।

12. तैनाती.—सेवा में नियुक्त अधिकारी दिल्ली सरकार के किसी भी संस्थान में सेवा करने के प्रति उत्तरदायी होंगे ।

13. निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध.—(1) सेवा में नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार की प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी चाहे जो भी हो जिसमें कोई परामर्श तथा प्रयोगशाला अन्यास शामिल है ।

(2) तथापि ऐसे व्यक्ति अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट दरों पर गैर-प्रैक्टिस भत्ते के हकदार होंगे ।

14. पेंशन तथा सेवा की अन्य शर्तें.—(1) सदस्यों की सेवा शर्तें उन मामलों के संबंध में जो इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबोधित नहीं हैं यथासंभव परिवर्तनों सहित तथा सेवा के संबंध में सरकार द्वारा जारी किसी विशेष आदेश के अधीन रहते हुए उसी प्रकार होंगी जैसी केंद्रीय सिविल सेवा के अधिकारियों पर सामान्यतः लागू हैं।

- (2) (क) इन नियमों के प्रारंभ होने से पहले अर्थात् दिनांक 1-1-2004 से पहले नियम 6 के उप-नियम (1) के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 से नियंत्रित होंगे।
- (ख) दिनांक 1-1-2004 के बाद नियम 6 के उप-नियम (1) के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी नयी पेंशन योजना से नियंत्रित होंगे।
- (ग) नियम 6 के उप-नियम (2) के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी दिनांक 1-1-2004 के बाद लागू नयी पेंशन योजना से नियंत्रित होंगे।

15. अयोग्यता.—कोई भी व्यक्ति सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

- (क) जिसने किसी ऐसे अन्य महिला/पुरुष से विवाह का करार किया है जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी एवं पति हैं या

(ख) जिसने जीवित पति अथवा पत्नी के रहते हुए किसी अन्य से विवाह किया हो;

उपबंध है कि यदि सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीयविधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेंगे।

16. शिथिल करने की शक्ति.—जहां सरकार का यह मत है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

17. बचाव :—इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

18. व्याख्या.—यदि इन नियमों की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो उस स्थिति में सरकार आयोग के परामर्श से इस पर निर्णय लेगी।

अनुसूची-1

दिल्ली स्वास्थ्य सेवा में सम्मिलित ग्रुप-क पदों के ग्रेड, वेतनमान तथा गैर प्रैक्टिस भत्ते इत्यादि
I-ग्रेड एवं वेतनमान

| क्र.सं. | ग्रेड | वेतनमान |
|---------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | I. सुपरस्टाइम ग्रेड. | पे बैंड पीबी-4, 37400-67000 रुपये ग्रेड पे 10,000 रुपये |
| 2. | स्पेशलिस्ट ग्रेड (गैर-शिक्षण) | |
| | (क) स्पेशलिस्ट ग्रेड-I | पे बैंड पीबी-4, 37400-67000-रुपये |
| | (i) स्पेशलिस्ट ग्रेड-I (सुपर स्पेशलिस्टस्) | ग्रेड पे 8,700 रुपये |
| | (ii) स्पेशलिस्ट ग्रेड-I (सुपर स्पेशलिस्टस् के अतिरिक्त) | पे बैंड पीबी-4, 37400-67000 रुपये ग्रेड पे 8,700 रुपये |
| | (ख) स्पेशलिस्ट ग्रेड-II | पे बैंड पीबी-3, 15,600-39,100 रुपये |
| | (i) स्पेशलिस्ट ग्रेड-II (सुपर स्पेशलिस्टस्) | ग्रेड पे 7,600 रुपये |
| | (ii) स्पेशलिस्ट ग्रेड-II (सुपर स्पेशलिस्टस् के अतिरिक्त) | पे बैंड पीबी-3, 15,600-39,100 रुपये ग्रेड पे 7,600 रुपये |

| 1 | 2 | 3 |
|----|--|---|
| | (ग) स्पेशलिस्ट ग्रेड-III | पे बैंड पीबी-3, 15,600-39,100 रुपये |
| | (i) स्पेशलिस्ट ग्रेड-III (सुपर स्पेशलिस्टस्) | ग्रेड पे 6,600 रुपये |
| | (ii) स्पेशलिस्ट ग्रेड-III (सुपर स्पेशलिस्टस् के अतिरिक्त) | पे बैंड पीबी-3, 15,600-39,100 रुपये ग्रेड पे 6,600 रुपये |
| 3. | सामान्य इयूटी चिकित्सा अधिकारी ग्रेड | |
| | (क) मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैर प्रकार्यात्मक चयन ग्रेड) | पे बैंड पीबी-4, 37400-67000 रुपये ग्रेड पे 8,700 रुपये |
| | (ख) मुख्य चिकित्सा अधिकारी | पे बैंड पीबी-3, 15,600-39,100 रुपये ग्रेड पे 7,600 रुपये |
| | (ग) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी | पे बैंड पीबी-3, 15,600-39,100 रुपये ग्रेड पे 6,600 रुपये |
| | (घ) चिकित्सा अधिकारी | पे बैंड पीबी-3, 15,600-39,100 रुपये ग्रेड पे 5,600 रुपये |
| | II. गैर प्रैक्टिस भत्ते की दरें - केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार प्राह्य । | |
| | III. स्नातकोत्तर भत्ता/यात्रा भत्ता/शैक्षणिक भत्ता - केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार प्राह्य । | |

अनुसूची-II

दिल्ली स्वास्थ्य सेवा (एलोपैथी) की प्राधिकृत संख्या
इयूटी पर

| क्र.सं. | पदनाम | पदों की संख्या |
|---------|--|----------------|
| 1. क | पे बैंड के पीबी-4 में 37,400-67,000 रु. में सुपर टाइप ग्रेड/वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में 10,000 रुपये के ग्रेड पे सहित-प्लवमान पद (फ्लोटिंग पोस्ट) | कुल पद-36 |
| 1 | अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक, लोक नायक अस्पताल | 1 |
| 2 | चिकित्सा अधीक्षक, अरुणा आसफ अली अस्पताल | 1 |
| 3 | चिकित्सा अधीक्षक, संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल | 1 |
| 4 | अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक, गुरु तेग बहादुर अस्पताल | 1 |
| 5 | अतिरिक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय | 1 |
| 6 | डी.डी.एम.जे.एस. स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय | 9 |
| 7 | चिकित्सा अधीक्षक, दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल | 1 |

| क्र.सं. | पदनाम | पदों की संख्या |
|---------|--|----------------|
| 8 | निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं | 1 |
| 9 | निदेशक, परिवार कल्याण निदेशालय | 1 |
| 10 | चिकित्सा अधीक्षक, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, जनकपुरी | 1 |
| 11 | परामर्शदाता, लोक नायक अस्पताल | 3 |
| 12 | चिकित्सा अधीक्षक, गुरु गोविन्द सिंह अस्पताल | 1 |
| 13 | परामर्शदाता, जी.बी. पन्त अस्पताल | 1 |
| 14 | चिकित्सा अधीक्षक, जी.बी. पन्त अस्पताल | 1 |
| 15 | परामर्शदाता, गुरु तेग बहादुर अस्पताल | 1 |
| 16 | चिकित्सा अधीक्षक, भगवान महावीर अस्पताल | 1 |
| 17 | चिकित्सा अधीक्षक, एन.सी. जोशी अस्पताल | 1 |
| 18 | अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक, दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल | 2 |
| 19 | चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. हैडगेवार आरोग्य संस्थान | 1 |

| क्र.सं. | पदनाम | पदों की संख्या | क्र.सं. | पदनाम | पदों की संख्या |
|---------|--|----------------|---------|------------------------------------|----------------|
| 20 | चिकित्सा अधीक्षक, बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल | 1 | 24 | परिवार कल्याण निदेशालय | 07 |
| 21 | चिकित्सा अधीक्षक, आचार्यश्री भिक्षु सरकारी अस्पताल | 1 | 25 | गुरु गोबिन्द सिंह अस्पताल | 20 |
| 22 | चिकित्सा अधीक्षक, सत्यवादी राजा हरीशचन्द्र अस्पताल | 1 | 26 | स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय | 16 |
| 23 | चिकित्सा अधीक्षक, महर्षि बाल्मीकी अस्पताल | 1 | 27 | सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर | 13 |
| 24 | चिकित्सा अधीक्षक, सरदार बल्लभ भाई पटेल अस्पताल | 1 | 28 | सरदार बल्लभ भाई पटेल अस्पताल | 21 |
| 25 | चिकित्सा अधीक्षक, मालवीय नगर कॉलोनी अस्पताल | 1 | 29 | शिशु एवं मातृत्व स्वास्थ्य केन्द्र | 03 |
| | | | 30 | दादा देव मातृ अस्पताल | 12 |
| क्र.सं. | पदनाम | पदों की संख्या | क्र.सं. | पदनाम | पदों की संख्या |
| II. | गैर शिक्षण स्पेशलिस्ट उप-संवर्ग | 563 | III. | जोड़ीएमओएस | 1225 |
| 1 | लोक नायक अस्पताल | 51 | 1 | लोक नायक अस्पताल | 53 |
| 2 | अरूणा आसफ अली अस्पताल | 27 | 2 | अरूणा आसफ अली अस्पताल | 24 |
| 3 | संजय गांधी मैमोरियल अस्पताल | 29 | 3 | संजय गांधी मैमोरियल अस्पताल | 33 |
| 4 | दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल | 50 | 4 | दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल | 81 |
| 5 | एन.सी. जोशी अस्पताल | 8 | 5 | एन.सी. जोशी अस्पताल | 06 |
| 6 | राव तुला राम अस्पताल | 20 | 6 | राव तुला राम अस्पताल | 25 |
| 7 | लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल | 22 | 7 | लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल | 28 |
| 8 | बाबू जगजीवन राम मैमोरियल अस्पताल | 21 | 8 | बाबू जगजीवन राम मैमोरियल अस्पताल | 28 |
| 9 | जी.बी.पन्त अस्पताल | 01 | 9 | जी.बी.पन्त अस्पताल | 16 |
| 10 | गुरु तेग बहादुर अस्पताल | 21 | 10 | गुरु तेग बहादुर अस्पताल | 30 |
| 11 | चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय | - | 11 | चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय | 08 |
| 12 | भगवान महावीर अस्पताल | 19 | 12 | भगवान महावीर अस्पताल | 15 |
| 13 | डॉ. हैदरप्रैवार आरोग्य संस्थान | 24 | 13 | डॉ. हैदरप्रैवार आरोग्य संस्थान | 16 |
| 14 | सत्यवादी राजा हरीशचन्द्र अस्पताल | 23 | 14 | सत्यवादी राजा हरीशचन्द्र अस्पताल | 19 |
| 15 | महर्षि बाल्मीकी अस्पताल | 18 | 15 | महर्षि बाल्मीकी अस्पताल | 19 |
| 16 | जग प्रवेश चन्द्र अस्पताल | 19 | 16 | जग प्रवेश चन्द्र अस्पताल | 15 |
| 17 | मालवीय नगर कॉलोनी अस्पताल | 18 | 17 | मालवीय नगर कॉलोनी अस्पताल | 14 |
| 18 | अतर सैन जैन नेत्र अस्पताल | 04 | 18 | अतर सैन जैन नेत्र अस्पताल | 04 |
| 19 | आचार्य श्री भिक्षु सरकारी अस्पताल | 21 | 19 | आचार्य श्री भिक्षु सरकारी अस्पताल | 08 |
| 20 | बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल | 45 | 20 | बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल | 33 |
| 21 | जनक पुरी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल | 15 | 21 | जनक पुरी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल | 02 |
| 22 | गुरु नानक नेत्र अस्पताल | 03 | 22 | गुरु नानक नेत्र अस्पताल | 01 |
| 23 | केन्द्रीय कारागार अस्पताल | 12 | 23 | केन्द्रीय कारागार अस्पताल | 76 |
| | | | 24 | परिवार कल्याण निदेशालय | 15 |
| | | | 25 | गुरु गोबिन्द सिंह अस्पताल | 24 |
| | | | 26 | स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय | 592 |
| | | | 27 | सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर | 09 |
| | | | 28 | सरदार बल्लभ भाई पटेल अस्पताल | 12 |
| | | | 29 | एम.ए.एम.सी. | 09 |
| | | | 30 | दादा देव मातृ अस्पताल | 08 |
| | | | 31 | राजीव गांधी एसएसएच | 02 |

अनुसूची-III

भर्ती पद्धति, पदोन्नति हेतु चयन क्षेत्र तथा परवर्ती निचले ग्रेड में न्यूनतम अर्हक सेवा या दिल्ली स्वास्थ्य सेवा में ग्रुप "क" इयूटी पदों के लिये अधिकारियों की नियुक्ति या पदोन्नति के लिए न्यून ग्रेड ।

| क्र.सं. | पद का नाम | पदोन्नति के लिये भर्ती पद्धति | चयन क्षेत्र तथा पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हक सेवा |
|---------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | गैर शैक्षणिक स्पेशलिस्ट उप-सर्वर्ग | रिक्तियों की सम्बद्धता के बिना पदोन्नति द्वारा, चयन द्वारा | पदोन्नति |
| | (क) सुपर टाइम ग्रेड/वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड संशोधित पे बैंड पीबी-4, 37,400-67000 रुपये ग्रेड पे 10,000 रुपये सहित | | 14,300-18,300 रुपये पूर्व संशोधित वेतनमान में की गई सेवा सहित पी बी-4 में 8700 रुपये के ग्रेड में सात वर्ष । |
| | (ख) स्पेशलिस्ट ग्रेड | वरिष्ठता एवं फिटनेस के अनुसार रिक्तियों की सम्बद्धता के बिना | पदोन्नति |
| | (1) स्पेशलिस्ट ग्रेड-1 | गैर चयन आधार पर पदोन्नति द्वारा शत प्रतिशत | 12,000-18,300 रुपये पूर्व संशोधित वेतनमान में की गई सेवा सहित पी बी-3 में 7600 रुपये के ग्रेड में चार वर्ष । |
| | (क) स्पेशलिस्ट ग्रेड-1 (सुपर स्पेशलिटी) पे बैंड पीबी-4, 37,4000-67,000 ग्रेड पे 8700 रुपये सहित | | |
| | (ख) स्पेशलिस्ट ग्रेड-1 (सुपर स्पेशलिटी के अतिरिक्त) पे बैंड पीबी-4, 37,4000- 67,000 रुपये ग्रेड पे 8700 रुपये सहित । | वरिष्ठता एवं फिटनेस के अनुसार रिक्तियों की सम्बद्धता के बिना गैर चयन आधार पर पदोन्नति द्वारा शत प्रतिशत | पदोन्नति 12,000-16,500 रुपये पूर्व संशोधित वेतनमान में की गई सेवा सहित पी बी-3 में 7600 रुपये के ग्रेड में चार वर्ष । |
| | (2) स्पेशलिस्ट ग्रेड-II | वरिष्ठता एवं फिटनेस के अनुसार रिक्तियों की सम्बद्धता के बिना | पदोन्नति |
| | (क) स्पेशलिस्ट ग्रेड-II (सुपर स्पेशलिटी) पीबी-3, 15,600-39,100 ग्रेड पे 7600 रुपये सहित | गैर चयन आधार पर पदोन्नति द्वारा शत प्रतिशत | 10,000-15,200 रुपये पूर्व संशोधित वेतनमान में की गई सेवा सहित पी बी-3 में 6600 रुपये के ग्रेड में दो वर्ष । |
| | (ख) स्पेशलिस्ट ग्रेड -II (सुपर स्पेशलिटी के अतिरिक्त) पीबी-3, 15,600-39,100 ग्रेड पे 7600 रुपये सहित । | वरिष्ठता एवं फिटनेस के अनुसार रिक्तियों की सम्बद्धता के बिना गैर चयन आधार पर पदोन्नति द्वारा शत प्रतिशत | पदोन्नति 10,000-15,200 रुपये पूर्व संशोधित वेतनमान में की गई सेवा सहित पी बी-3 में 6600 रुपये के ग्रेड में दो वर्ष । |
| | (3) स्पेशलिस्ट ग्रेड-III (क) स्पेशलिस्ट ग्रेड-III (सुपर स्पेशलिस्ट) पीबी-3,15,600-39,100 ग्रेड पे 6600 रुपए सहित | सीधी भर्ती द्वारा | योग्यताओं, अनुभव तथा आयु सीमा इत्यादि के लिये अनुसूची-V देखें |
| | (ख) स्पेशलिस्ट ग्रेड -III (सुपर स्पेशलिटी के अतिरिक्त) पीबी-3, 15,600-39,100, ग्रेड पे 6600 रुपये सहित । | सीधी भर्ती द्वारा | योग्यताओं, अनुभव तथा आयु सीमा इत्यादि के लिए अनुसूची-V देखें |

| क्र.सं. | पद का नाम | पदोन्नति के लिये भर्ती पद्धति | चयन क्षेत्र तथा पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हक सेवा |
|--------------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. सामान्य इयुटी उप-संवर्ग पद | | | |
| | (क) सुपर टाइम ग्रेड/वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड संशोधित पे बैंड पीबी-4, 37,400-67000 रुपये ग्रेड पे 10,000 रुपये सहित | रिक्तियों की सम्बद्धता के बिना पदोन्नति द्वारा, चयन द्वारा | पदोन्नति 14,300-18,300 रुपये पूर्व संशोधित वेतनमान में की गई सेवा सहित पी बी-4 में 8700 रुपये के ग्रेड में सात वर्ष अथवा बीस वर्षों की नियमित सेवा। |
| | (ख) चिकित्सा अधिकारी ग्रेड | | |
| | (1) मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैर प्रकार्यात्मक चयन ग्रेड) पे बैंड पीबी-4, 37,400-67,000 रुपये ग्रेड पे 8700 रुपये सहित। | वरिष्ठता एवं फिटनेस के अनुसार रिक्तियों की सम्बद्धता के बिना गैर चयन आधार पर पदोन्नति द्वारा शत प्रतिशत | पदोन्नति 12,000-16,500 रुपये पूर्व संशोधित वेतनमान में की गई सेवा सहित पी बी-3 में 7600 रुपये के ग्रेड में चार वर्ष। |
| | (2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी पीबी-3, 15,600-39,100 ग्रेड पे 7600 रुपये सहित | वरिष्ठता एवं फिटनेस के अनुसार रिक्तियों की सम्बद्धता के बिना गैर चयन आधार पर पदोन्नति द्वारा शत प्रतिशत | पदोन्नति 10,000-15,200 रुपये पूर्व संशोधित वेतनमान में की गई सेवा सहित पी बी-3 में 6600 रुपये के ग्रेड में दो वर्ष। |
| | (3) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी पे बैंड पीबी-3, 15,600-39,100 ग्रेड पे 6600 रुपये सहित। | वरिष्ठता एवं फिटनेस के अनुसार रिक्तियों की सम्बद्धता के बिना गैर चयन आधार पर पदोन्नति द्वारा शत प्रतिशत | पदोन्नति 8,000-13,500 रुपये पूर्व संशोधित वेतनमान में की गई सेवा सहित पी बी-3 में 5400 रुपये के ग्रेड में चार वर्ष। |
| | (4) चिकित्सा अधिकारी पे बैंड पीबी-3, 15,600-39,100 ग्रेड पे 5400 रुपये सहित। | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके निर्धारित आयु सीमा, शिक्षण योग्यताएं तथा अनुभव के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती के द्वारा प्रत्येक अवसर पर भर्ती का सही तरीका नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा | योग्यताओं, अनुभव तथा आयु सीमा इत्यादि के लिये अनुसूची-V देखें |

अनुसूची-IV

दिल्ली स्वास्थ्य सेवा में ग्रुप 'क' पदों में पदोन्नति अथवा स्थायीकरण के मामलों के विचारार्थ ग्रुप 'क' विभागीय पदोन्नति समिति

क. विभागीय पदोन्नति समिति

1. गैर शिक्षण स्पेशलिस्ट उप-संवर्ग पद

(क) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड

(i) अध्यक्ष/सदस्य-संघ लोक सेवा आयोग

- अध्यक्ष

(ii) मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

- सदस्य

(iii) प्रशासनिक सचिव-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

- सदस्य

- (iv) सचिव, सेवाएं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार -सदस्य
- (v) डीन, मौलाना आजाद मैडिकल कॉलेज -सदस्य
- (ख) स्पेशलिस्ट ग्रेड- I
- (i) प्रशासनिक सचिव- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार -अध्यक्ष
- (ii) सचिव, सेवाएं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार -सदस्य
- (iii) डीन, मौलाना आजाद मैडिकल कॉलेज -सदस्य
- (ग) स्पेशलिस्ट ग्रेड- II
- (i) प्रशासनिक सचिव- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार -अध्यक्ष
- (ii) सचिव, सेवाएं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार -सदस्य
- (iii) डीन, मौलाना आजाद मैडिकल कॉलेज -सदस्य
- II . सामान्य ड्यूटी उप-संवर्ग पद
- (क) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड
- (i) अध्यक्ष/सदस्य-संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष
- (ii) मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार -सदस्य
- (iii) प्रशासनिक सचिव- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार -सदस्य
- (iv) सचिव, सेवाएं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार -सदस्य
- (ख) मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैर प्रकार्यात्मक चयन ग्रेड)
- (i) प्रशासनिक सचिव- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार -अध्यक्ष
- (ii) सचिव, सेवाएं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार -सदस्य
- (iii) निदेशक- स्वास्थ्य सेवाएं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार -सदस्य
- (ग) मुख्य चिकित्सा अधिकारी
- (i) प्रशासनिक सचिव/ विशेष सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार -अध्यक्ष
- (ii) सचिव, सेवाएं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार -सदस्य
- (iii) निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार -सदस्य
- (घ) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी
- (i) प्रशासनिक सचिव/ विशेष सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार -अध्यक्ष
- (ii) संयुक्त सचिव सेवाएं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार -सदस्य
- (iii) निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार -सदस्य
- ख स्थायीकरण
- (1) स्पेशलिस्ट ग्रेड- III
- (गैर शिक्षण स्पेशलिस्ट उप-संवर्ग)
- (i) प्रशासनिक सचिव/विशेष सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार -अध्यक्ष

- (ii) सचिव, सेवाएं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार -सदस्य
- (iii) डीन, मौलाना आजाद मैडिकल कॉलेज -सदस्य
- (2) चिकित्सा अधिकारी (जी. डी. एम.ओ. उप-संवर्ग)
- (i) विशेष सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार -अध्यक्ष
- (ii) संयुक्त सचिव सेवाएं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार -सदस्य
- (iii) निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार -सदस्य

नोट-1. डायनमिक एसोर्ड कैरियर प्रोग्रेसन स्कीम के अन्तर्गत किसी अधिकारी के लिये विभागीय पदोन्नति समिति पदोन्नति के लिये विभागीय पदोन्नति समिति जैसी होगी।

अनुसूची V

दिल्ली स्वास्थ्य सेवा के ग्रुप 'क' के पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं, अनुभव और आयु सीमा

| | | |
|--|--|--|
| 1. 1. स्पेशलिस्ट ग्रेड-III (सुपर स्पेशलिटी) (पे बैंड पीबी-3, 15,600-39,100 ग्रेड पे 6,600 रुपये सहित) | 45 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) | अनिवार्य : (i) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की प्रथम या द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग-II (इंगित योग्यताओं के अतिरिक्त) में सम्मिलित मान्यता प्राप्त एमबीबीएस योग्यता। तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक योग्यताधारक को भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा (13) की उपधारा (3) में अनुबद्ध शर्तें भी पूरी करनी चाहिए। (ii) अनुसूची-VI के भाग-क में उल्लिखित संबंधित सुपर विशेषज्ञता (स्पेशलिटी) में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा अथवा समकक्ष। (iii) प्रथम स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित सुपर विशेषज्ञता (स्पेशलिटी) में तीन वर्षों का अनुभव अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा लेने के पश्चात् पांच वर्ष का अनुभव। नोट :- पांच वर्ष की डीएम/सीएच की योग्यताओं के धारकों द्वारा उक्त डीएम/सीएच के अन्तिम भाग में लगाई गई वरिष्ठ पीजी रेजिस्टेंसी की अवधि अनुभव की आवश्यकता में जोड़ी जाएगी। |
| 2. स्पेशलिस्ट ग्रेड-III (सुपर स्पेशलिटी के अतिरिक्त) (पे बैंड पीबी-3, 15,600-39,100; ग्रेड पे 6,600 रुपये सहित) | 45 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) | अनिवार्य : (i) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की प्रथम या द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग-II (इंगित योग्यताओं के अतिरिक्त) में सम्मिलित मान्यता प्राप्त एमबीबीएस योग्यता। तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक योग्यताधारक को भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा (13) की उप-धारा (3) में अनुबद्ध शर्तें भी पूरी करनी चाहिए। (ii) अनुसूची -VI के भाग -क या ख में उल्लिखित संबंधित विशेषज्ञता (स्पेशलिटी) में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा अथवा समकक्ष (iii) प्रथम स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता (स्पेशलिटी) में तीन वर्षों का अनुभव अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा लेने के पश्चात् पांच वर्ष का अनुभव। नोट :- फिजिशियन (छाती तथा श्वसन रोग) के पद के लिये श्वसन प्रयोगशाला में तीन वर्षों का अनुभव अपेक्षित। |

(1)

(2)

(3)

II समान्य इयुटी उप-संवर्ग पद

चिकित्सा अधिकारी
(से बैंड पीबी-3
15,600-39,100 रुपये
के ग्रेड पे 54,00 रुपये)

32 वर्ष से अधिक नहीं

अनिवार्य :

(i) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की प्रथम या द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग II (इंगित योग्यताओं के अतिरिक्त) में सम्मिलित मान्यताप्राप्त एनबीबीएस योग्यता। तृतीय अनुसूची के भाग II में सम्मिलित शैक्षिक योग्यताधारक को भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा (13) की उप-धारा (3) में अनुबोधित शर्त भी पूरी करनी चाहिए।

(ii) अनिवार्य आवर्ती इन्टरनशिप पूर्ण करने वाले उम्मीदवार जो उम्मीदवार आवर्ती इन्टरनशिप पूर्ण नहीं कर सके वे लिखित परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे बशर्ते कि वे यदि उनका चयन होता है तो उन्हें नियुक्ति से पूर्व संतोषपूर्ण अनिवार्य आवर्ती इन्टरनशिप पूर्ण करनी होगी।

टिप्पण 1 :- आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि होगी (लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब-डिविजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्पा जिले की पांगी सब-डिविजन व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है)।

टिप्पण 2 :- अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं।

टिप्पण 3 :- यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं।

टिप्पण 4 :- लिखित परीक्षा के पश्चात साक्षात्कार के आधार पर चिकित्सा अधिकारी के पद पर भर्ती की स्थिति में आयु-सीमा ज्ञात करने के लिए मान्य तिथि, उस वर्ष की पहली जनवरी होगी जिस वर्ष में परीक्षा हुई है।

टिप्पण 5 :- युनाईटेड किंगडम में प्रदान की गई योग्यताएं केवल तभी मान्य होंगी जब 11-11-1978 को या पहले प्रदान की गईं।

अनुसूची VI

दिल्ली स्वास्थ्य सेवा में ग्रुप 'क' पदों की भर्ती के लिए मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर योग्यताओं की सूची

| क्रम सं. | विषय | भाग—क | भाग—ख |
|----------|------------|--|---------------------------------------|
| | | अपेक्षित स्नातकोत्तर टिप्रा योग्यता | अपेक्षित स्नातकोत्तर डिप्लोमा योग्यता |
| 1.(क) | अनैदानिक | | |
| 1. | जीव भौतिकी | एम.डी. (जीव भौतिकी) एम.एम.सी. (जीव भौतिकी) एम.डी. (शरीर क्रिया विज्ञान/जीव रसायन विज्ञान) के साथ जीव भौतिकी में एक साल का प्रशिक्षण | |

| (1) | (2) | (3) |
|--|---|--|
| 2. विकृति विज्ञान | एम.डी. (विकृति विज्ञान) पी.एच.डी. (विकृति विज्ञान) डी.एस.सी. (विकृति विज्ञान) | डीसीपी डीपीबी |
| 3. सूक्ष्म जीव विज्ञान/ जीवाणु विज्ञान | एम.डी. (जीवाणु विज्ञान) एम.डी. (सूक्ष्म जीव विज्ञान)/ एम.बी.बी.एस. के साथ एम.एस.सी. (आयुर्विज्ञान) जीवाणु विज्ञान/एम.एस.सी. (आयुर्विज्ञान) सूक्ष्म जीव विज्ञान/पी.एच.डी. (आयुर्विज्ञान जीवाणु विज्ञान) एम.एस.सी. (मैडिकल जीवाणु) के साथ डी.एस.सी. (मैडिकल जीवाणु) के साथ एम.एस.सी. (मैडिकल सूक्ष्म जीव विज्ञान) के साथ पी.एच.डी. (मैडिकल सूक्ष्म जीव विज्ञान)/ एम.एस.सी. (मैडिकल सूक्ष्म जीव विज्ञान) के साथ डी.एस.सी. (मैडिकल सूक्ष्म जीव विज्ञान) | डी (जीवाणु विज्ञान) डी.पी.बी. |
| 4. शरीर रचना विज्ञान | एम.एस. (शरीर रचना) एम.एस.सी. (शरीर रचना) एम.एस.सी. (मैडिकल शरीर रचना) पी.एच.डी. (शरीर रचना) डी.एस.सी. (शरीर रचना) | |
| 5. शरीर क्रिया विज्ञान | एम.डी. (शरीर क्रिया विज्ञान) एम.एस.सी. (शरीर क्रिया विज्ञान) पी.एच.डी. (शरीर क्रिया विज्ञान) डी.एस.सी. (शरीर क्रिया विज्ञान) | |
| 6. जीव रसायन विज्ञान | एम.डी. (जीव रसायन विज्ञान) एम.एस.सी. (आयुर्विज्ञान जीव रसायन विज्ञान) पी.एच.डी. (जीव रसायन विज्ञान) डी. एस.सी. (जीव रसायन विज्ञान) | |
| 7. भेषज गुण विज्ञान | एम.डी. (भेषज गुण विज्ञान) एम.डी. (भेषज गुण विज्ञान एवं चिकित्सा विज्ञान) एम.एस.सी. (भेषज गुण विज्ञान) | |
| (ख) वैदानिक | | |
| 1. सामान्य चिकित्सा | एम.डी. (चिकित्सा)/ एम.डी. (सामान्य चिकित्सा) | |
| 2. न्याय आयुर्विज्ञान | एम.डी. (न्याय आयुर्विज्ञान) | |
| 3. विकिरण आयुर्विज्ञान | एम.डी. (विकिरण आयुर्विज्ञान) एम.डी. (रेडियो थैरेपी) | डी.आर.एम. |
| 4. बाल चिकित्सा विज्ञान | एम.डी. (बाल चिकित्सा) बाल चिकित्सा में डिप्लोमा | डी.सी.एच. |
| 5. वैदानिक रूग्ण विज्ञान | एम.डी. आयुर्विज्ञान/विकृति विज्ञान में एम.डी. तथा रूग्ण विज्ञान में तीन साल का अनुभव | |
| 6. तपेदिक/श्वसन चिकित्सा कुम्फुस चिकित्सा | एम.डी. (तपेदिक) एम.डी. (टीबी एवं श्वसन)/रोग | टी.डी.डी. डी.टी.डी. डी.टी.सी.डी. |

| (1) | (2) | (3) |
|--|--|---|
| | एम.डी. (चिकित्सा) सहित टी.डी.डी., डी.टी.डी. या ही.टी.सी.डी./ एम.डी. (टीबी एवं चैस्ट डिजिस) | |
| 7. मनोचिकित्सा | एम.डी. (मनोचिकित्सा) एम.डी. (फिजियोक्लोजिकल) (एक साल का कोर्स मेडिसिन) एम.डी. मेडिसिन में व फिजियोक्लोजिकल मेडिसिन में डिप्लोमा मनोचिकित्सा (एडिन) में डिप्लोमा दो साल का कोर्स मनोचिकित्सा में डिप्लोमा (एमसी.गिल) विश्वविद्यालय, मोनट्रियल, कनाडा से दो साल का कोर्स | डीपीएम |
| 8. वेनरियोलॉजी | एम.डी. (वेनरियोलॉजी) एम.डी. (त्वचा विज्ञान एवं वेनरियोलॉजी) एम.डी. मेडिसिन के साथ वेनरियोलॉजी में डिप्लोमा | डॉ. वी. |
| 9. त्वचा विज्ञान | एम.डी. (त्वचा विज्ञान) एम.डी. (त्वचा विज्ञान व वेनरियोलॉजी) एम.डी. मेडिसिन के साथ त्वचा विज्ञान में डिप्लोमा | डी.डी. |
| 10. त्वचा विज्ञान, वेनरियोलॉजी तथा कुष्ठ रोग | एम.डी. (त्वचा विज्ञान तथा वेनरियोलॉजी)/ एम.डी. (त्वचा विज्ञान, वेनरियोलॉजी तथा कुष्ठ रोग) एम.डी. (त्वचा विज्ञान)/ एम.डी. (त्वचा विज्ञान के साथ वेनरियोलॉजी) एम.डी. (त्वचा विज्ञान के साथ वेनरियोलॉजी तथा कुष्ठ रोग) एम.डी. (मेडिसिन) के साथ डी.बी.डी. अथवा डी. डी. | डी.बी.डी., डी.डी.वी., डी.वी. तथा डी. |
| 11. सामान्य सर्जरी | एम.एस. (सर्जरी) एम.एस. (सामान्य सर्जरी) | |
| 12. ऑर्थोपेडिक्स | एम. एम (ऑर्थो) | डी. ऑर्थो |
| 13. भौतिक आयुर्विज्ञान और पुनर्वास | एम.डी. (पीएम.आर.)/एम.डी. (मेडिसिन) के साथ डिप्लोमा (पीएमआर.)/एम.एस. (सामान्य सर्जरी)/ एम.एस. (ऑर्थोपेडिक्स) के साथ भौतिक आयुर्विज्ञान और पुनर्वास (पुनर्वास मेडिसिन) में दो साल का विशेष प्रशिक्षण या दो वर्ष का इस विषय में समरूप प्रशिक्षण जो किसी मान्यताप्राप्त भारतीय संस्थान द्वारा स्वीकृत हो। | |
| 14. नेत्र विज्ञान | एम.एस. (नेत्र विज्ञान) एम.डी. (नेत्र विज्ञान) | डी.ओ. डी.ओ. एम.एस. |
| 15. कान-नाक-गला विज्ञान | एम.एस. (कान-नाक-गला विज्ञान) | डी.आई.ओ. डी.ओ.आर.एल. |
| 16. प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान | एम.डी. (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान) एम.एस. (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान) | डी.जी.ओ. |
| 17. प्रसूति और बाल स्वास्थ्य | डी.सी.एच./डी.एम.सी.डब्ल्यू के साथ एम.डी. (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान) एम.एस. (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान) एम.डी. (मिड और स्त्री रोग विज्ञान) एम.एस. (मिड और स्त्री रोग विज्ञान) एम.डी. (प्रसूति विज्ञान) | डी.एम.सी. डब्ल्यू |

| (1) | (2) | (3) |
|--|---|--|
| | एम. डी. एम.आर.सी.ओ.जी. एम.डी. (एसपीएम) एम.डी. (सामुदायिक चिकित्सा) एम.एन.ए.एम.एस. (एकीकृत एमसीएच) प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान विशेषज्ञता बोर्ड (यूएसए) | |
| 18. विकिरण निदान | एम.डी. (विकिरण निदान) एम.डी. (विकिरण) एम. एस. (विकिरण) | डी.एम.आर.डी. या एक साल की अवधि का समतुल्य डिप्लोमा |
| 19. विकिरण चिकित्सा विज्ञान | एम.डी. (विकिरण चिकित्सा विज्ञान) एम.डी. (विकिरण विज्ञान) एम. एस. (विकिरण विज्ञान) | डी.एम.आर.डी. या एक साल का समतुल्य डिप्लोमा |
| | नोट : जिन व्यक्तियों ने 1985 से पूर्व विकिरण विज्ञान में एम.डी. या विकिरण विज्ञान में डिप्लोमा किया है वे भी विकिरण निदान और विकिरण चिकित्सा विज्ञान में पदों के लिये आवेदन करने के पात्र होंगे। | |
| 20. निश्चेतन विज्ञान | एम. डी. (निश्चेतन विज्ञान)/ एम. एस. (निश्चेतन विज्ञान) | डी.ए. |
| 21. छाती/श्वसन रोग | एम.डी. श्वसन रोग एंड डी.बी.ओ. नेशनल बोर्ड से डिप्लोमा (श्वसन रोग) | |
| 22. न्यूक्लीयर आयुर्विज्ञान | एम. डी. (न्यूक्लीयर आयुर्विज्ञान)/एम. डी. (रेडियो-थैरेपी) के साथ किसी मान्यता प्राप्त सेंटर में न्यूक्लीयर आयुर्विज्ञान में अनुभव/एम.डी. (चिकित्सा) न्यूक्लीयर मेडिसिन में दो साल का अनुभव/एम.डी. (चिकित्सा) के साथ डी.आर.एम. या डी.एन.एम./एम.डी. (विकिरण निदान) के साथ किसी मान्यता-प्राप्त सेंटर से न्यूक्लीयर मेडिसिन में दो साल का अनुभव/एम.डी. (जैव भौतिक) या जैव भौतिकी में समकक्ष योग्यता के साथ डीआरएम या डीएनएम या डीएनबी न्यूक्लीयर मेडिसिन में किसी मान्यता प्राप्त सेंटर से दो वर्ष का न्यूक्लीयर मेडिसिन का अनुभव। | |
| 23. पोषण (न्यूट्रीशन) | एम.डी. (जैव रसायन)/फिजियोलॉजी/पैथोलॉजी/मेडिसिन/सामाजिक एवं प्रतिरोधी (प्रिवेन्टिव) मेडिसिन/कोम्प्यूनिटी मेडिसिन या पीडिएट्रिक्स के साथ अनुप्रयुक्त पोषण में एक वर्षीय विशेष प्रशिक्षण सहित एम.एस.सी.। | |
| 24. मानवीय मेटाबॉलजीम | एम.डी. (अंतःस्राव विज्ञान) या एम. डी. (मेडिसिन)/एम.डी. (पीडिएट्रिक्स) के साथ अंतःस्राव विज्ञान में दो साल का विशेष प्रशिक्षण। | |
| 25. इम्यूनो हेमेटोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन | डी.एम. (इम्यूनोलॉजी) या एमडी (इम्यूनो हेमेटोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन)/एम.डी. (पैथोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी या हेमेटोलॉजी) के साथ दो वर्षीय अध्यापन अनुभव अथवा इम्यूनो हेमेटोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन विभाग में विशेष प्रशिक्षण। | |
| 26. मेडिसन जेनेटिक्स | डी.एम. (मेडिसन जेनेटिक्स)/एम.डी. (मेडिसन जेनेटिक्स) एम.डी. (सामान्य मेडिसन) एवं एम.डी. (बाल विज्ञान) एवं एम.डी. (आब्सट एंड गाइनि) के साथ मेडिसन जेनेटिक्स में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण। | |
| 27. फ़ैमिली मेडिसिन | एम.डी. (फ़ैमिली मेडिसिन)/एमडी (सामान्य मेडिसिन) | |
| 28. विमानन मेडिसिन/एरोस्पेस मेडिसिन | एम.डी. (विमानन मेडिसिन)/ एम.डी. (एरोस्पेस मेडिसिन) | |
| 29. जराचिकित्सा | एम.डी. (फ़ैमिली मेडिसिन)/एम.डी. (सामान्य मेडिसिन)/एम.डी. (जराचिकित्सा) | |

| (1) | (2) |
|---|--|
| 30. स्वास्थ्य प्रशासन | एम.डी. (स्वास्थ्य प्रशासन)/एम.डी. (अस्पताल प्रशासन)/एम.डी. (समुदाय स्वास्थ्य प्रशासन) |
| 31. अस्पताल प्रशासन | एम.डी. (अस्पताल प्रशासन)/ एम.डी. (समुदाय स्वास्थ्य प्रशासन)/ एम.डी. (स्वास्थ्य प्रशासन) |
| 32. स्पोर्ट्स मेडिसिन | एम.डी. (स्पोर्ट्स मेडिसिन)/ एम.डी. (ऑर्थोपेडिक्स)/एम.डी. (भौतिक आयुर्विज्ञान एवं पुनर्वास)एम.डी. (फिजियोलॉजी) के साथ दो साल का स्पोर्ट्स मेडिसिन अनुभव । |
| 33. ट्रोपिकल मेडिसिन | एम.डी. (ट्रोपिकल मेडिसिन)/एम.डी. (सामान्य मेडिसिन)/एम.डी. (माइक्रोबायोलॉजी) तथा दो वर्ष का क्लिनिकल मेडिसिन अनुभव । |
| 34. रूमटोलॉजी | एम.डी. (रूमटोलॉजी)/एम.डी. (मेडिसिन) के साथ रूमटोलॉजी/इम्यूनोलॉजी में दो वर्ष का अनुभव |
| 35. स्वास्थ्य शिक्षा | एम.डी. (सोशल एंड ग्रिवे मेडिसिन)/एम.डी. (समुदाय मेडिसिन)/एम.डी. (स्वास्थ्य प्रशासन) |
| 36. नौसैनिक मेडिसिन | एम.डी. (फिजियोलॉजी)/एम.डी. (मेडिसिन) तथा नौसैनिक मेडिसिन में दो साल का विशेष प्रशिक्षण |
| 37. व्यवसायिक स्वास्थ्य | एम.डी. (मनोरोग)/एम.डी. (भौतिक आयुर्विज्ञान और पुनर्वास)/एम.एस. (ऑर्थोपेडिक्स) |
| 38. रेडियोलॉजिकल भौतिकी | एम.एससी (भौ./कैमि./बायोफिजिक्स) के साथ पीएच.डी. (भौ./रसायन/बायोफिजिक्स) |
| 39. विरोलॉजी | एम.डी. (माइक्रोबायोलॉजी)/एम.डी. (पैथोलॉजी)/एम.डी. (मेडिसिन) के साथ विरोलॉजी में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण/एम.एस.सी. (मेडिकल विरोलॉजी) के साथ विरोलॉजी में पी.एच.डी. |
| (ग) अतिरिक्त विशेषज्ञता | |
| 1. जठरांत्र रोग विज्ञान | डी.एम. (जठरांत्र रोग विज्ञान)/डी.एम. (जठरांत्र रोग)/एम.डी. (मेडिसिन) या एम.डी. (पीडिएट्रिक्स) के साथ जठरांत्र रोग में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण |
| 2. तंत्रिका विज्ञान | डी.एम. (तंत्रिका विज्ञान) |
| 3. अंतःस्त्राविकी | डी.एम. (अंतःस्त्राविकी)/एम.डी. (मेडिसिन) या एम.डी. (पीडिएट्रिक्स) के साथ अंतःस्त्राविकी में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण |
| 4. हृदय रोग विज्ञान | डी.एम. (हृदय रोग विज्ञान) |
| 5. वृक्क रचना विज्ञान | डी.एम. (वृक्क रचना विज्ञान) |
| 6. प्लास्टिक सर्जरी एवं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी | एम.सी.एच. (प्लास्टिक सर्जरी) एम.सी.एच. (प्लास्टिक एण्ड कंस्ट्रक्टिव सर्जरी) |
| 7. थोरसिस सर्जरी | एम.सी.एच. (थोरसिस सर्जरी) या स्पेशलिटी बोर्ड से थोरसिस सर्जरी (यू.एस.ए.) |
| 8. तंत्रिका शल्य विज्ञान | एम.सी.एच. (तंत्रिका शल्य विज्ञान) |
| 9. बाल शल्य चिकित्सा विज्ञान | एम. सी.एच. (बाल शल्य चिकित्सा विज्ञान) |
| 10. मूत्र रोग विज्ञान | एम.सी.एच. (मूत्र रोग विज्ञान) |
| 11. हृदय वक्षीय शल्य विज्ञान | एम.सी.एच. (हृदय वक्षीय शल्य विज्ञान)/ एम.सी.एच. (थोरसिक सर्जरी) या स्पेशलिटी बोर्ड ऑफ थोरसिक सर्जरी (यू.एस.ए.) |
| 12. जठर आन्त्र शल्य चिकित्सा | एम.सी.एच. (जठर आन्त्र शल्य चिकित्सा)/एम.एस. (सामान्य सर्जरी) के साथ जठर आन्त्र शल्य चिकित्सा विभाग में दो वर्ष के विशेष प्रशिक्षण सहित |
| 13. कैंसर शल्य चिकित्सा | एम.सी.एच. (कैंसर सर्जरी/शल्य चिकित्सा ऑन्कोलॉजी) |
| 14. कॉरडियो वसकूलर एंड थोरसिस सर्जरी | एम.सी.एच. (कॉरडियो वसकूलर एंड थोरसिस सर्जरी)/एम.सी.एच. (थोरसिस सर्जरी)/एम.सी.एच. (कॉरडियो सर्जरी)/एम.सी.एच. (वसकूलर सर्जरी) |
| 15. नोआनेटलॉजी | डी.एम. (नोआनेटलॉजी)/एम.डी. (पीडिएट्रिक्स) के साथ नोआनेटलॉजी में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण |
| 16. क्लिनिकल हेमटोलॉजी | डी.एम. (क्लिनिकल हेमटोलॉजी) एम.डी. (मेडिसिन) या एम.डी. (पीडिएट्रिक्स) या एम.डी. (पैथोलॉजी) के साथ क्लिनिकल हेमटोलॉजी में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण |

| (1) | (2) |
|--|--|
| 17. क्लिनिकल फॉरमाकोलॉजी | डी.एम. (क्लिनिकल फॉरमाकोलॉजी) एम.डी. (फॉरमाकोलॉजी) के साथ क्लिनिकल फॉरमाकोलॉजी में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण |
| 18. इम्यूनलॉजी (प्रतिरक्षा विज्ञान) | डी.एम. (इम्यूनलॉजी प्रतिरक्षा विज्ञान)/एम.डी. (मेडिसिन) या एम.डी. (पैथोलॉजी) या एम.डी. (सूक्ष्म जैविकी) या एम.डी. (पीडिएट्रिक्स) के साथ इम्यूनलॉजी (प्रतिरक्षा विज्ञान) में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण |
| 19. मेडिकल जेनेटिक्स | डी.एम. (मेडिकल जेनेटिक्स)/एम.डी. (पीडिएट्रिक्स) या एम.डी. (मेडिसिन) या एम.एस. (अनाटॉमी) के साथ मेडिकल जेनेटिक्स में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण |
| 20. मेडिकल ऑनकोलॉजी | डी.एम. (मेडिकल ऑनकोलॉजी)/एम.डी. (मेडिसिन) या एम.डी. (रेडियो थेरेपी) या एम.डी. (पीडिएट्रिक्स) के साथ मेडिकल ऑनकोलॉजी में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण |
| 21. सर्जिकल गैसट्रोइन्टेरोलॉजी | एम.सी.एच. (सर्जिकल गैसट्रोइन्टेरोलॉजी)/एम.एस. (सर्जरी) के साथ सर्जिकल गैसट्रोइन्टेरोलॉजी में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण |
| 22. सर्जिकल ऑनकोलॉजी | एम.सी.एच. (सर्जिकल ऑनकोलॉजी)/ एम.एस. (सर्जरी) या एम.एस. (इएनटी) या एम.एस. (ऑर्थोपेडिक्स) या एम.डी. (प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान) के साथ सर्जिकल ऑनकोलॉजी में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण |

टीप-1 आल दी रॉयल कॉलेज आफ यूके द्वारा तथा रॉयल कॉलेज आफ यूके की फ़ैलोशिप तथा कनाडा के रॉयल कॉलेज की फ़ैलोशिप एमआरसीपी/एफआरसीपी, एफआरसीएस डिप्लोमा या सदस्यता तथा फ़ैलोशिप का उल्लेख करती है।

टीप-2 यूएसए की योग्यताओं संबंधी विशेषज्ञता बोर्ड के धारकों को संबंध बोर्ड की समूची अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए।

टीप-3 जहां तक भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई स्नातकोत्तर चिकित्सा योग्यता का संबंध है, उन्हें समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय चिकित्सा परिषद् नियम, 1956 की अनुसूची में भी स्थान मिलना चाहिए।

टीप-4 मेडिकल विज्ञान एमएएमएस का सदस्य अकादमी

(i) यह योग्यता पूर्वोक्त की भांति मान्य चिकित्सा योग्यता होगी जब राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की ओर से राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली द्वारा संचालित परीक्षा के परिणामों के आधार पर 01 अप्रैल, 1976 को या बाद में (चाहे उक्त तिथि के पहले हो या बाद में) प्रदान की गई है और न कि जबकि मानद डिग्री के रूप में प्रदान की गई हो।

- एम.ए.एम.एस. (शारीरिक विज्ञान)
- एम.ए.एम.एस. (सामान्य सर्जरी)
- एम.ए.एम.एस. (सामान्य मेडिसिन)
- एम.ए.एम.एस. (अब्ट एण्ड गाईनी)
- एम.ए.एम.एस. (ऑफ़्थ.)
- एम.ए.एम.एस. (सामाजिक एवं प्रतिरोधी मेडिसिन)
- एम.ए.एम.एस. (मनोचिकित्सा)
- नेशनल अकादमी ऑफ़ मेडिकल साइंस की सदस्यता
- एम.एन.ए.एम.एस. (शारीरिक विज्ञान)
- एम.एन.ए.एम.एस. (सामान्य मेडिसिन)
- एम.एन.ए.एम.एस. (सामान्य सर्जरी)
- एम.एन.ए.एम.एस. (आब्ट एण्ड गाईनी)
- एम.एन.ए.एम.एस. (सामाजिक एवं प्रतिरोधी मेडिसिन)

(1)

(2)

एम.एन.ए.एम.एस. (भनोचिकित्सा)

एम.एन.ए.एम.एस. (ऑपथलॉमोलॉजी)

ये योग्यताएं पूर्वोक्त की भाँति मान्य चिकित्सा योग्यताएं होंगी यदि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड नई दिल्ली की ओर से राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली द्वारा संचालित (उक्त तिथि से पहले या बाद) संचालित परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर 3 अप्रैल, 1977 को या बाद में दी गई है और न कि जब कोई मानद डिग्री प्रदान की गई है।

एम.एन.ए.एम.एस. (रेडियो निदान)

एम.एन.ए.एम.एस. (रेडियो थेरापी)

एम.एन.ए.एम.एस. (स्वास्थ्य प्रशासन)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से
तथा उनके नाम पर,

दिवान चन्द, अतिरिक्त सचिव

टीप-4 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (स्वास्थ्य विभाग) भारत सरकार की दिनांक 29-8-1978 की अधिसूचना संख्या-वी-110015/12/78-एम ई (पॉलिसी) के अनुसार यूनाइटेड किंगडम में प्रदान की गई योग्यताएं केवल मान्य चिकित्सा योग्यताएं होंगी जो कि 11 नवम्बर, 1978 को या उससे पहले प्रदान की हों।

टीप-5 समय-समय पर भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा अनुमोदित स्नातकोत्तर योग्यताओं के समकक्ष योग्यताओं के धारक सम्बद्ध विषय में अपेक्षित स्नातकोत्तर योग्यता होने के लिये विचारणीय होंगे।

टीप-6 पांच वर्ष की डीएम/एम.सी.एच. के धारकों की स्थिति को छोड़कर सुपर विशेषज्ञताओं (एम. सो.एच./डी.एन.) में योग्यताओं की स्थिति में धारक के पास एम.डी. मेडिसिन या एमएस सामान्य (शल्य चिकित्सा) या स्नातकोत्तर चिकित्सा परीक्षा में उक्त परिषद् ने अपनी सिफारिशों द्वारा यथानिर्धारित कोई समकक्ष योग्यताएं प्राप्त होनी चाहिए।

टीप-7 यह सूची व्यापक नहीं है। नियंत्रक अधिकारी को संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके भाग (क), (ख), (ग) या (घ) में कोई अन्य योग्यताएं समनुदेशित करने की शक्ति होगी।

No. F. 70/49/2006/H&FW/PF.-IV/9192.— In exercise of the powers conferred under Article 309 of the Constitution of India, read with Government of India, Ministry of Home Affairs O.M. No. 24/78/68-DH(S) dtd. 24-9-68, the Lt. Governor of Delhi is pleased to make the following rules regulating the terms and conditions of Delhi Health Service (Allopathy) namely :—

1. **Short title and commencement** —(1) These rules may be called the Delhi Health Service (Allopathy) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions** :— In these rules, unless the context otherwise requires,—

- "Commission" means the Union Public Service Commission;
- "Controlling Authority" means the Health and Family Welfare Department, Government of NCT of Delhi;
- "Departmental Promotion Committee" means a Group "A" Departmental Promotion Committee specified in Schedule IV for considering cases of promotion or confirmation in Group "A" posts of the Service;
- "Duty Post" means any post, whether permanent or temporary, specified in Schedule-II;
- "Government" means Lt. Governor of Delhi;
- "Grade" means any of the grades specified in Schedule-I;
- "Schedule" means a Schedule appended to these rules;
- "Service" means the Delhi Health Service (Allopathy);
- "Sub Cadre" means any of the two streams of the Service, namely, General Duty and Non-teaching Specialist as the case may be.

3. **Composition of the Service.**—All duty posts included in the Service shall be classified as Central Civil Service Group "A" and the grades, scales of pay, non-practicing allowance and other matters connected therewith shall be as specified in Schedule-I.

4. **Authorized strength of the Service.**— (1) The authorized strength of the duty posts included in the various grades of the Service on the date of commencement of these rules shall be as specified in Schedule-II.

(2) After the commencement of these rules, the authorized permanent strength of the duty posts in the various grades shall be such as may, from time to time, be determined by the Government.

(3) The Government may make temporary addition to, or reduction, in the strength of the duty posts in the various grades as deemed necessary from time to time.

(4) The Government may, in consultation with the Commission, include in the Service any post other than those included in Schedule-II or exclude from the Service a post included in the said Schedule.

(5) The Government may, in consultation with the Commission, appoint an officer whose post is included in the Service under sub-rule (4), to the appropriate grade of the Service, in a temporary capacity or in a substantive capacity, as may be deemed fit, and fix his seniority in the grade after taking into account continuous regular service in the analogous grade.

(6) Upto 10% of the total number of posts in each sub-cadre (excluding SAG posts) shall be included in the service as training/leave/deputation reserve.

(7) In the General Duty Medical Officer (GDMO) Subcadre Medical Officer (Grade Pay Rs. 5400 on PB - 3) who has rendered 4 years service in the Grade Pay of Rs. 5400 in PB-3 including service rendered in the pre-revised scale of Rs. 8000-13500 shall be eligible to be promoted to Senior Medical Officer (Grade Pay Rs. 6,600 in PB-3). Senior Medical Officer with 5 (five) years of regular service as Senior Medical Officer in the Grade Pay of Rs. 6,600 in PB-3 including service rendered in the pre-revised scale of Rs. 10,000 - 15,200 shall be eligible to be promoted to the post of Chief Medical Officer (Grade pay Rs. 7,600 in PB-3). A Chief Medical Officer in the Grade Pay of Rs. 7,600 in PB-3 with 4 (four) years in Chief Medical Officer grade including service rendered in the pre-revised scale of Rs. 12,000-16,500 shall be eligible to be promoted to the post of Chief Medical Officer (Non Functional Selection Grade -Grade Pay Rs. 8700 in PB-4). Thereafter, a CMO (N FSG) who has rendered 7 years service in the Grade Pay of Rs. 8700 in PB-4 including service rendered in the pre-revised scale of Rs. 14,300-18,300 or 20 years of regular service shall be eligible for promotion to the SAG Grade with Grade Pay Rs. 10,000 in PB-4. The promotions from the scale of Medical Officer to SAG Grade shall be without linkage to vacancies.

A Non Teaching Specialist Grade III in the Grade Pay of Rs. 6,600 in PB-3 with 2 years regular service in that grade, including service rendered in the pre-revised scale of Rs. 10,000-15,200 shall be eligible to be promoted to Specialist Officer Grade II of the non teaching sub-cadre in the Grade Pay of Rs. 7,600 in PB-3. A non-teaching Specialist Grade II with 4 years regular service in that grade including service rendered in the pre-revised scale of Rs. 12,000-16,500 shall be eligible to be promoted to non-teaching Specialist Grade I in the Grade Pay of Rs. 8,700 in PB-4. Further, a non teaching Specialist Grade I with 7 years regular service in that grade/PB including service rendered in the pre-revised scale of Rs. 14,300-18,300 shall be eligible to be promoted to the SAG grade with Grade Pay Rs. 10,000 in PB-4. Promotion from the non-teaching Specialist Gr. III to the level of SAG grade shall be without linkage to vacancies.

5. **Members of the Service.**—(1) The following persons shall be members of the Service, namely :—

- (a) Persons appointed under sub-rule (5) of rule 4.
- (b) Persons appointed to duty posts under rule 6, and
- (c) Persons appointed to duty posts under rule 7.

(2) A person, appointed under clause (b) of the Sub-rule (1) shall, on such appointment, be deemed to be the member of the Service in the appropriate Grade applicable to him in Schedule-II.

(3) A person appointed under clause (c) of Sub-rule (1) shall be the Member of the Service in the appropriate grade applicable to him in Schedule-II from the date of such appointment.

6. **Initial Constitution of the Service.**—(1) All the officers appointed under the Central Health Service Rules, 1996, who are working in the Government of NCT of Delhi as on the date of publication of these rules in the Official Gazette and who opt to be part of this service shall be deemed to have been appointed under these rules and they shall be members of the service in the respective grades.

(2) All officers appointed on contract basis/ad-hoc basis on or before 18th December, 2006, i.e. the date of issue of the Government of Delhi's O.M. No. F.70/49/2006/H&FW/SSHPW 463-475 dated 18th December, 2006, on the basis of their suitability as assessed by the Commission and requisite educational qualifications and experience prescribed for the post and being found fit, shall be deemed to have been appointed under these

Rules and assigned to the Sub-Cadre of General Duty Medical Officers or Non-teaching Specialists, as the case may be, and they shall be members of the Service at the entry level of the respective Sub-Cadre at the initial constitution stage.

7. **Maintenance of Service.**—(1) The vacancies in any of the grades referred to in Schedule-II shall be filled in the manner as hereinafter provided under these rules.
- (2) The method of recruitment, the field of selection for promotion, including the minimum qualifying service in the immediate lower grade or lower grades as the case may be, for appointment or promotion to the posts in the respective Sub-Cadres and specialities within the Sub-Cadre concerned, included in the Service shall be as specified in Schedule-III.
- (3) (i) The Departmental promotions shall be confined to officers of the respective Sub-Cadres.
(ii) The departmental promotions to higher posts in the respective Sub-Cadres shall be made on the basis of selection from among the officers of the service in the immediate lower grade or lower grades, as the case may be, in the respective Sub-Cadres on the recommendations of the Departmental Promotion Committee constituted as at Schedule-IV.
- (4) (a) The minimum educational and other qualifications, experience and age limit for appointment to various duty posts in the service by direct recruitment shall be as specified in Schedule-V.
(b) The direct recruitment to posts belonging to Super-Specialities specified in Schedule VI for which minimum essential qualification is Doctor of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgie (M.Ch.) or equivalent shall be made in the scale carrying Grade Pay of Rs. 6600 in PB-3 (pre-revised scale of 10,000-15,200).
(c) The recognized post-graduate qualifications shall be as specified in Schedule-VI.

Note: (i) The post of Medical Officer, Senior Medical Officer, Chief Medical Officer, Chief Medical Officer (NPSG) and SAG in the General Duty Medical Officer Sub-cadre, and the post of Specialist Grade III, Specialist Grade II, Specialist Grade I and SAG in the Non-Teaching Sub-cadres, are interchangeable within the respective Sub-Cadres for the purpose of promotion.

(ii) Promotion to the grades (other than entry grades) mentioned above shall be without linkage to vacancies upto the level of SAG.

8. **Filing of Duty Posts by Deputation (including short term contract):**—(1) Notwithstanding anything contained in rule 7, where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may for reasons to be recorded in writing, fill not more than five percent duty posts, in the grades of Medical Officer in the General Duty Sub-Cadre and Specialist Grade III in the Non-Teaching Specialist Sub-Cadre by transfer on deputation of suitable officers holding analogous posts under the Central Government (including Ministries of Railways and Defense)/State Government/Union Territories or by short term contract of suitable officers holding analogous posts under the statutory bodies, autonomous bodies, semi-Government organizations, Universities or recognized Research Institutions in Consultation with the Commission :

Provided that with regard to the posts filled up on deputation it shall be open for the Government, in consultation with the Commission, to consider appointment on absorption basis only in the Non-Teaching Specialists sub-cadre.

- (2) The period of deputation or contract shall ordinarily not exceed three years, which may, in special circumstances be extended up to five years, as the Government may think fit.
- (3) For appointment to duty posts on deputation or absorption basis, the officer shall, among others, fulfil the minimum educational and other qualifications prescribed for the posts in Schedule -V to these rules.
9. **Seniority :**—(1) The relative seniority of members of the service appointed to a grade in the respective sub-cadres or in the respective speciality of the sub-cadre of the Service, as the case may be, at the time of initial constitution of the service under rule 6(1), shall be as obtaining on the date of commencement of these rules :

Provided that if the seniority of any such members had not been specifically determined on the said date, the same shall be determined on the basis of the rules governing the fixation of seniority as were

applicable to the members of the Service prior to the commencement of these rules or in consultation with the Commission as the case may be.

- (2) The seniority of officers recruited to the Service other than those appointed under rule 6(1) shall be determined in accordance with the general instructions issued by the Government in the matter from time to time.
- (3) The seniority of persons recruited to the Service in accordance with sub-rule (5) of rule 4 shall be fixed in the manner provided therein.
- (4) The protection, if any accorded in towards increments drawn by the doctors who worked on contract adhoc basis prior to placement at the initial constitution stage shall not be taken into account for determining the length of service or seniority for consideration for promotion on time scale basis subsequent to their placement at the initial constitution stage.

10. Probation.—(1) Every officer except for those appointed as part of the initial constitution, appointed to the Service by direct recruitment shall be on probation for a period of two years.

Provided that the Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time in this behalf.

Provided further that any decision for extension of the period of probation of an officer shall be taken immediately after the expiry of initial period of probation and ordinarily within eight weeks and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

- (2) On completion of the period of probation or any extension thereof, officer shall, if considered fit for permanent appointment, be confirmed in terms of the extant orders of the Government of India.
- (3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, Government may discharge the officer or revert him to the post held by him prior to his appointment in the Service, as the case may be.
- (4) During the period of probation or any extension thereof, officers may be required by the Government to undergo such courses of training or to pass such examinations or tests (including examination in Hindi) as Government may deem fit as condition for satisfactory completion of probation.
- (5) As regards other matters relating to probation, the members of the service will be governed by the orders or instructions issued by the Government in this regard from time to time.

11. Appointment to the Service.—All appointments to the service on the basis of direct recruitment and deputation (including short term contract) absorption to the Service shall be made by the Controlling Authority in consultation with the Commission.

12. Posting.—Officers appointed to the Service shall be liable to serve in any institution of the Government of NCT of Delhi.

13. Prohibition of Private practice.—(1) Persons appointed to the service shall not be allowed private practice of any kind whatsoever including any consultation and laboratory practice.

- (2) Such persons shall, however, be entitled to a Non-practicing allowance at the rates specified in Schedule-I.

14. Pension & other conditions of service.—(1) The conditions of service of the members of the service in respect of matters not expressly provided for in these rules, shall, *mutatis mutandis* and subject to any special orders issued by the Government in respect of the Service, be the same as those applicable to officers of the Central Civil Services in general.

- (2) (a) Officers appointed under Sub-rule (1) of Rule 6, prior to 1-1-2004, before the commencement of these Rules, shall be governed by the CCS (Pension) Rules, 1972.
(b) Officers appointed under Sub-rule (1) of Rule 6, after 1-1-2004, shall be governed by the new Pensions Scheme.

(c) Officers appointed under Sub-rule (2) of Rule 6 will be governed by the new Pensions Scheme, applicable after 1-1-2004.

15. **Disqualification.**—No person shall be eligible for appointment to the Service.

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

16. **Power to relax.**—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

17. **Saving.**—Nothing in these Rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

18. **Interpretation.**—If any question relating to the interpretation of these rules arises, it shall be decided by the Government in consultation with the Commission.

SCHEDULE-I

Grade Scales of Pay and Non-Practicing Allowance etc. of Group-A Posts included in the Delhi Health Service I-Grades and Scales of Pay

| Sl. No. | Grade | Scale of Pay |
|---------|--|---|
| 1. | Supertime Grade | Pay Band PB-4, Rs. 37,400-67,000 Grade Pay Rs. 10,000 |
| 2. | Specialist Grade (Non-Teaching) | |
| | (a) Specialist Grade-I | |
| | (i) Specialist Grade-I (Super Specialities) | Pay Band PB-4, Rs. 37,400-67,000 Grade Pay Rs. 8,700 |
| | (ii) Specialist Grade-I (Other than super Specialities) | Pay Band PB-4, Rs. 37,400-67,000 Grade Pay Rs. 8,700 |
| | (b) Specialist Grade-II | |
| | (i) Specialist Grade-II (Super Specialities) | Pay Band PB-3, Rs. 15,600-39,100 Grade Pay 7,600 |
| | (ii) Specialist Grade-II (Other than Super Specialities) | Pay Band PB-3, Rs. 15,600-39,100 Grade Pay 7,600 |
| | (c) Specialist Grade-III | |
| | (i) Specialist Grade-III (Super Specialities) | Pay Band PB-3, Rs. 15,600-39,100 Grade pay 6,600 |
| | (ii) Specialist Grade-III (Other than Super Specialities) | Pay Band PB-3, Rs. 15,600-39,100 Grade Pay 6,600 |
| | 3. General Duty Medical Officers' Grade : | |
| | (a) Chief Medical Officer (Non-Functional Selection Grade) | Pay Band PB-4, Rs. 37,400-67,000 Grade Pay Rs. 8,700 |
| | (b) Chief Medical Officer | Pay Band PB-3, Rs. 15,600-39,100 Grade Pay Rs. 7,600 |
| | (c) Senior Medical Officer | Pay Band PB-3, Rs. 15,600-39,100 Grade Pay Rs. 6,600 |
| | (d) Medical Officer | Pay Band PB-3, Rs. 15,600-39,100 Grade Pay Rs. 5,400 |

II-Rates of Non-Practicing Allowance.....Admissible as per orders issued from time to time by the Central Government.

III-Post Graduate Allowance/conveyance allowance/academic allowance.....Admissible as per orders issued from time to time by the Central Government.

SCHEDULE-II

Authorized strength of Delhi Health Service (Allopathy)

DUTY POSTS

| S.No. | Designation | No. of Posts |
|--|---|----------------|
| LA | Super time Grade/Senior Administrative Grade in the Pay Band of PB-4 Rs. 37,400-67,000 with Grade Pay Rs. 10,000-Floating Posts | Total Posts-36 |
| 1. | Addl. MS, Lok Nayak Hospital | 1 |
| 2. | MS. Aruna Asaf Ali Hospital | 1 |
| 3. | MS. Sanjay Gandhi Memorial Hospital | 1 |
| 4. | Addl. MS. Guru Teg Bahadur Hospital | 1 |
| 5. | Addl. Director, Dte. of Health Services | 1 |
| 6. | CDMOs, Directorate of Health Services | 9 |
| 7. | MS, Deen Dayal Upadhyay Hospital | 1 |
| 8. | Director, Health Services | 1 |
| 9. | Director, Dte. of Family Welfare | 1 |
| 10. | MS, Super Speciality Hospital, Janak Puri | 1 |
| 11. | Consultant, Lok Nayak Hospital | 3 |
| 12. | MS, Guru Gobind Singh Hospital | 1 |
| 13. | Consultant, G.B.Pant Hospital | 1 |
| 14. | MS, G.B.Pant Hospital | 1 |
| 15. | Consultant, Guru Teg Bahadur Hospital | 1 |
| 16. | MS, Bhagwan Mahavir Hospital | 1 |
| 17. | MS, N.C.Joshi Hospital | 1 |
| 18. | Addl. MS, Deen Dayal Upadhyay Hospital | 2 |
| 19. | MS, Dr. Hedgewar Arogya Sansthan | 1 |
| 20. | MS, Baba Saheb Ambedkar Hospital | 1 |
| 21. | MS, Acharyashree Bhikshu Govt. Hospital | 1 |
| 22. | MS, Satyawadi Raja Harishchandra Hospital | 1 |
| 23. | MS, Maharishi Balmiki Hospital | 1 |
| 24. | MS, Sardar Vallabh Bhai Patel Hospital | 1 |
| 25. | MS, Malviya Nagar Colony Hospital | 1 |
| S.No. | Designation | No. of Posts |
| II. Non-Teaching Specialist Sub-Cadre | | 563 |
| 1. | Lok Nayak Hospital | 51 |
| 2. | Aruna Asaf Ali Hospital | 27 |
| 3. | Sanjay Gandhi Memorial Hospital | 29 |
| 4. | Deen Dayal Upadhyay Hospital | 50 |
| 5. | N.C.Joshi Hospital | 8 |
| 6. | Rao Tula Ram Hospital | 20 |
| 7. | Lal Bahadur Shastri Hospital | 22 |
| 8. | Babu Jagjivan Ram Memorial Hospital | 21 |
| 9. | G.B.Pant Hospital | 01 |

| | | |
|-----|--|----|
| 10. | Guru Teg Bahadur Hospital | 21 |
| 11. | Chacha Nehru Bal Chikitsalaya | - |
| 12. | Bhagwan Mahavir Hospital | 19 |
| 13. | Dr. Hedgewar Arogya Sansthan | 24 |
| 14. | Satyawadi Raja Harish Chandra Hospital | 23 |
| 15. | Maharishi Balmiki Hospital | 18 |
| 16. | Jag Prवेश Chand Hospital | 19 |
| 17. | Malviya Nagar Colony Hospital | 18 |
| 18. | Atter Sen Jain Eye Hospital | 04 |
| 19. | Acharya Shree Bhikshu Hospital | 21 |
| 20. | Baba Saheb Ambedkar Hospital | 45 |
| 21. | Janak Puri Super Speciality Hospital | 15 |
| 22. | Guru Nanak Eye Centre | 03 |
| 23. | Central Jail Hospital | 12 |
| 24. | Dte. of Family Welfare | 07 |
| 25. | Guru Gobind Singh Hospital | 20 |
| 26. | Dte. of Health Services | 16 |
| 27. | Sushruta Trauma Centre | 13 |
| 28. | Sardar Vallabh Bhai Patel Hospital | 21 |
| 29. | Child & Maternity-Cum-Health Centre | 03 |
| 30. | Dada Dev Maitri Hospital | 12 |

| S.No. | Designation | No. of Posts |
|-------------------|--|--------------|
| III. GDMOs | | 1225 |
| 1. | Lok Nayak Hospital | 53 |
| 2. | Aruna Asaf Ali Hospital | 24 |
| 3. | Sanjay Gandhi Memorial Hospital | 33 |
| 4. | Deen Dayal Upadhyay Hospital | 81 |
| 5. | N.C.Joshi Hospital | 06 |
| 6. | Rao Tula Ram Hospital | 25 |
| 7. | Lal Bahadur Shastri Hospital | 28 |
| 8. | Babu Jagjivan Ram Memorial Hospital | 28 |
| 9. | G.B.Pant Hospital | 16 |
| 10. | Guru Teg Bahadur Hospital | 30 |
| 11. | Chacha Nehru Bal Chikitsalaya | 08 |
| 12. | Bhagwan Mahavir Hospital | 15 |
| 13. | Dr. Hedgewar Arogya Sansthan | 16 |
| 14. | Satyawadi Raja Harish Chandra Hospital | 19 |
| 15. | Maharishi Balmiki Hospital | 19 |
| 16. | Jag Prवेश Chand Hospital | 15 |
| 17. | Malviya Nagar Colony Hospital | 14 |
| 18. | Atter Sen Jain Eye Hospital | 04 |
| 19. | Acharya Shree Bhikshu Hospital | 08 |

| | | | |
|------------------------------------|----|--|-----|
| 20. Babu Saheb Ambedkar Hospital | 33 | 26. Dte. of Health Services | 592 |
| 21. Janak Puri Speciality Hospital | 02 | 27. Sushruta Trauma Centre | 09 |
| 22. Guru Nanak Eye Centre | 01 | 28. Sardar Vallabh Bhai Patel Hospital | 12 |
| 23. Central Jail Hospital | 76 | 29. MAMC | 09 |
| 24. Dte. of Family Welfare | 15 | 30. Dada Dev Mairi Hospital | 08 |
| 25. Guru Gobind Singh Hospital | 24 | 31. Rajiv Gandhi SSH | 02 |

SCHEDULE-III

The method of recruitment, field of selection for promotion and minimum qualifying service in the immediate lower grade or lower grades for appointment or promotion of officers to Group 'A' duty posts in the Delhi Health Service.

| Sl. No. | Name of the Post | Method of recruitment for promotion | Field of Selection and Minimum qualifying service |
|---------|--|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Non-Teaching Specialist sub-cadre (a) Super time Grade/Senior Administrative grade Revised Pay Band PB-4, Rs. 37,400-67,000 with Grade Pay Rs. 10,000 | By promotion by Selection without linkage to vacancies | Promotion: 7 years in Grade Pay of Rs. 8700 in PB-4 including service rendered in the pre-revised scale of Rs. 14,300-18,300. |
| | (b) Specialist Grade (1) Specialist Grade-I (a) Specialist Grade-I (Super Specialities) Pay Band PB-4, Rs. 37,400-67,000 with Grade Pay Rs. 8,700. | 100% by promotion on Non-Selection basis without linkage to vacancies subject to seniority-cum-fitness. | Promotion: 4 years in Grade Pay of Rs. 7600 in PB-3 including service rendered in the pre-revised scale of Rs. 12,000-16,500. |
| | (b) Specialist Grade-I (Other than Super Specialities) Pay Band PB-4, Rs. 37,400-67,000 with Grade Pay Rs. 8,700. | 100% by promotion on Non-Selection basis without linkage to vacancies subject to seniority-cum-fitness. | Promotion: 4 years in Grade Pay of Rs. 7600 in PB-3 including service rendered in the pre-revised scale of Rs. 12,000-16,500. |
| | (2) Specialist Grade-II (a) Specialist Grade-II (Super-Specialities). PB-3, Rs. 15,600-39,100 with Grade Pay Rs. 7,600 | 100% by promotion on Non-Selection basis without linkage to vacancies subject to seniority-cum-fitness. | Promotion: 2 years in Grade Pay of Rs. 6600 in PB-3 including service rendered in the pre-revised scale of Rs. 10,000-15,200. |
| | (b) Specialist Grade-II (Other than Super Specialities) PB-3, Rs. 15,600-39,100 with Grade Pay Rs. 7,600 | 100% by promotion on Non-Selection basis without linkage to vacancies subject to seniority-cum-fitness. | Promotion: 2 years in Grade Pay of Rs. 6600 in PB-3 including service rendered in the pre-revised scale of Rs. 10,000-15,200. |
| | (3) Specialist Grade-III (a) Specialist Grade-III (Super-Specialities). | By direct recruitment | See Schedule-V for qualifications, experience and age limits etc. |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|--|---|---|--|
| | PB-3, Rs. 15,600-39,100 with Grade Pay Rs. 6,600 (b) Specialist Grade-III (other than Super Specialities) Pay Band PB-3, Rs. 15,600-39,100 with Grade Pay Rs. 6,600 | By direct recruitment | See Schedule-V for qualifications, experience and age limits etc. |
| 1. General Duty Sub-cadre posts | | | |
| | (a) Super-time Grade/Senior Administrative Grade Revised Pay Band PB-4, Rs. 37,400-67,000 with Grade Pay Rs. 10,000 | By promotion by Selection without linkage to vacancies | Promotion : 7 years in Grade Pay of Rs. 8700 in PB-4 including service rendered in the pre-revised scale of Rs. 14,300-18,300. or 20 years of regular service. |
| | (b) Medical Officer Grade 1. Chief Medical Officer (Non-Functional Selection Grade) Pay Band PB-4, Rs. 37,400-67,000 with Grade Pay Rs. 8,700 | 100% By promotion on Non-Selection basis without linkage to vacancies subject to seniority-cum-fitness. | 4 years in Grade Pay of Rs. 7600 in PB-3 including service rendered in the pre-revised scale of Rs. 12,000-16,500. |
| | (2) Chief Medical Officer PB-3, Rs. 15,600-39,100 with Grade Pay Rs. 7,600 | 100% By promotion on Non-Selection basis without linkage to vacancies subject to seniority-cum-fitness. | Promotion : 5 years in Grade Pay of Rs. 6600 in PB-3 including service rendered in the pre-revised scale of Rs. 10,000-15,200. |
| | (3) Senior Medical Officer Pay Band PB-3, Rs. 15,600-39,100 with Grade Pay Rs. 6,600 | 100% By promotion on Non-Selection basis without linkage to vacancies subject to seniority-cum-fitness. | Promotion : 4 years in Grade Pay of Rs. 5400 in PB-3 including service rendered in the pre-revised scale of Rs. 8,000-13,500. |
| | (4) Medical Officer Pay Band PB-3, Rs. 15,600-39,100 with Grade Pay Rs. 5,400 | By direct recruitment on the basis of a written examination to be conducted by the Union Public Service Commission only in accordance with age limit and educational qualifications and experience as may be prescribed in consultation with the Union Public Service Commission. | See Schedule V for qualification, experience and age limit, etc. |
| | | The exact method of recruitment to be followed shall be decided by the Controlling Authority in consultation with the Union Public Service Commission on each occasion. | |

SCHEDULE-IV

GROUP 'A' Departmental Promotion Committees for considering the cases of promotion or confirmation in Group 'A' posts in the Delhi Health Service.

| | | | |
|-----|-------|--|-----------|
| A. | A. | DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE | |
| I. | I. | NON-TEACHING SPECIALIST SUB-CADRE POSTS | |
| | (a) | SENIOR ADMINISTRATIVE GRADE | |
| | (i) | Chairman/Member, UPSC | —Chairman |
| | (ii) | Chief Secretary, Government of N.C.T. of Delhi | —Member |
| | (iii) | Administrative Secretary, Health & Family Welfare Department, Government of NCT of Delhi | —Member |
| | (iv) | Secretary, Services, Government of NCT of Delhi | —Member |
| | (v) | Dean, Maulana Azad Medical College | —Member |
| | (b) | SPECIALIST GRADE-I | |
| | (i) | Administrative Secretary, H & FW Department, Government of NCT of Delhi | —Chairman |
| | (ii) | Secretary, Services, Government of NCT of Delhi | —Member |
| | (iii) | Dean, Maulana Azad Medical College | —Member |
| | (c) | SPECIALIST GRADE-II | |
| | (i) | Administrative Secretary, H & FW Department, Government of NCT of Delhi | —Chairman |
| | (ii) | Secretary, Services, Government of NCT of Delhi | —Member |
| | (iii) | Dean, Maulana Azad Medical College | —Member |
| II. | II. | GENERAL DUTY SUB-CADRE POSTS | |
| | (a) | SENIOR ADMINISTRATIVE GRADE | |
| | (i) | Chairman/Member, UPSC | —Chairman |
| | (ii) | Chief Secretary, Government of N.C.T. of Delhi | —Member |
| | (iii) | Administrative Secretary, Health & Family Welfare Department, Government of NCT of Delhi | —Member |
| | (iv) | Secretary, Services, Government of NCT of Delhi | —Member |
| | (b) | CHIEF MEDICAL OFFICER (NON-FUNCTIONAL SELECTION GRADE) | |
| | (i) | Administrative Secretary, H&FW Dept., Govt. of NCT of Delhi | —Chairman |
| | (ii) | Secretary Services, Govt. of NCT of Delhi | —Member |
| | (iii) | Director, Health Services, GNCT of Delhi | —Member |
| | (c) | CHIEF MEDICAL OFFICER | |
| | (i) | Administrative Secretary/Spl. Secretary H&FW Deptt., Govt. of NCT of Delhi | —Chairman |
| | (ii) | Secretary Services, Govt. of NCT of Delhi | —Member |
| | (iii) | Director, Health Services, GNCT of Delhi | —Member |
| | (d) | SENIOR MEDICAL OFFICER | |
| | (i) | Administrative Secretary/Spl. Secretary, H&FW Deptt., Govt. of NCT of Delhi | —Chairman |

| | | | |
|------------------------|-------|--|-----------|
| | (ii) | Joint Secretary Services, Govt. of NCT of Delhi | —Member |
| | (iii) | Director, Health Services, GNCT of Delhi | —Member |
| B. CONFIRMATION | | | |
| (I) | (I) | SPECIALIST GRADE-III (NON-TEACHING SPECIALIST SUB-CADRE) | |
| | (i) | Administrative Secretary/ Spl. Secretary, H&FW Deptt., Govt. of NCT of Delhi | —Chairman |
| | (ii) | Secretary Services, Govt. of NCT of Delhi | —Member |
| | (iii) | Dean, Maulana Azad Medical College | —Member |
| (II) | (II) | MEDICAL OFFICER (GD.M.O. SUB-CADRE) | |
| | (i) | Special Secretary, H&FW Deptt., Govt. of NCT of Delhi | —Chairman |
| | (ii) | Jt. Secretary Services, Govt. of NCT of Delhi | —Member |
| | (iii) | Director, Health Services, GNCT of Delhi | —Member |

Note : 1. DPC for an officer under the Dynamic Assured Career Progression Scheme shall be the same as the DPC for promotion.

SCHEDULE-V

Minimum education and other qualifications, experience and age limit for direct recruitment to Group 'A' duty posts in the Delhi Health Service.

| 1 | 2 | 3 |
|--|--|---|
| <p>1. Specialist Gr.-III (Super Specialities) (Pay Band -3, Rs. 15,600-39,100 Grade Pay Rs. 6,600)</p> | <p>Not exceeding 45 years (relaxable for Government servants by five years in accordance with the instructions issued by the Central Government)</p> | <p>Essential :</p> <p>(i) A recognized MBBS qualification included in the First or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions stipulated in sub-section (3) of section (13) of the Indian Medical Council Act, 1956.</p> <p>(ii) Post-graduate Degree/Diploma in the concerned super speciality mentioned in Section-A of Schedule-VI or equivalent.</p> <p>(iii) Three year's experience in the concerned super-speciality after obtaining the first Post-graduate degree or 5 years experience after obtaining the PG Diploma.</p> <p>Note : In the case of holders of D.M./M.Ch. qualifications of 5 year's duration, the period of senior PG residency rendered in the last part of the said D.M./M.Ch. shall be counted towards requirement of experience.</p> |
| <p>2. Specialist Gr.-III (Other than Super Specialities) (Pay Band -3, Rs. 15,600-39,100 Grade Pay Rs. 6,600)</p> | <p>Not exceeding 45 years (relaxable for Government servants by five years in accordance with instructions issued by the Central Government)</p> | <p>Essential :</p> <p>(i) A recognized MBBS qualification included in the First or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions stipulated in sub-section (3) of section (13) of the Indian Medical Council Act, 1956.</p> <p>(ii) Post-graduate Degree/Diploma in the concerned speciality mentioned in Section-A or Section-B in</p> |

1

2

3

II. General Duty Sub-Cadre Posts

I. Medical Officer
(Pay Band -3,
Rs. 15,600-39,100
Grade Pay Rs. 5,400).

Not exceeding 32 years

Schedule-VI or equivalent.

(iii) Three years' experience in the concerned speciality after obtaining the first Post-graduate Degree or 5 years' experience after obtaining the Post-graduate Diploma.

Note : For the post of Physician (Chest and Respiratory Disease) 3 years' experience in Respiratory Laboratories is required.

Essential :

(i) A recognized MBBS qualification included in the First or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions stipulated in sub-section (3) of Section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956.

(ii) Completion of compulsory rotating internship candidates who may not have completed rotating internship shall be eligible to appear for the written examination provided that, if selected, they shall have satisfactorily completed the compulsory internship before appointment.

Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division of J&K State, the Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Note 2 : The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 3 : The qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Note 4 : In the case of recruitment to the post of Medical Officer on the basis of a written examination followed by interview the crucial date for reckoning the age limit shall be the first of January of the year in which the examination is held.

Note 5 : The qualifications granted in United Kingdom shall be recognized medical qualifications only when granted on or before 11-11-1978.

SCHEDULE-VI

List of recognized Post-graduate qualifications for recruitment to Group 'A' posts in Delhi Health Service

| Sl. No. | Subject | Section-A Requisite Post Graduate Degree Qualification | Section-B Requisite Post Graduate Diploma Qualification |
|-------------------------|-------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| (A) NON-CLINICAL | | | |
| 1. | Bio-Physics | M.D. (Bio-Physics)/M.Sc. (Bio-Physics)/ M.D. (In Physiology/Bio-Chemistry) with one year training in Bio-Physics | |
| 2. | Pathology | M.D. (Pathology)/ Ph.D. (Pathology)/ D.Sc. (Pathology) | DCP DPB |
| 3. | Microbiology/ Bacteriology | M.D. (Bacteriology)/ M.D. (Microbiology)/ M.B.B.S. with M.Sc.(Med.) Bacteriology/M.Sc.(Med.) Microbiology/Ph.D.(Med. Bacteriology)/ M.Sc. (Med. Bacteriology) with D. Sc. (Med. Bacteriology)/ M.Sc. (Med. Microbiology) with Ph.D. (Med. Microbiology)/M.Sc.(Med. Microbiology) with D.Sc.(Med. Microbiology) | D (Bact) DPB |
| 4. | Anatomy | MS (Anatomy) M.Sc. (Anatomy) M.Sc. (Medical Anatomy) Ph. D (Anatomy) D.Sc. (Anatomy) | |
| 5. | Physiology | M.D. (Physiology) M. Sc. (Physiology) Ph. D (Physiology) D. Sc. (Physiology) | |
| 6. | Bio-Chemistry | M.D. (Bio-Chemistry) M. Sc. (Medical Bio-Chemistry) Ph. D (Bio- Chemistry) D.Sc. (Bio-Chemistry) | |
| 7. | Pharmacology | M.D. (Pharmacology) M.D. (Pharmacology & Therapeutics) M.Sc. (Pharmacology) | |
| (B) CLINICAL | | | |
| 1. | General Medicine | M.D. (Medicine) | |
| 2. | Forensic Medicine | M.D. (General Medicine) | |
| 3. | Radiation Medicine | M.D. (Forensic Medicine) M.D. (Radiation Medicine) | |
| 4. | Paediatrics | M.D. (Radio Therapy) M.D. (Paediatrics) | D.R.M. Dip. Paeds. |
| 5. | Clinical Haematology | Diploma Paed., D.C.H M.D. in Medicine/Pathology with three years experience in Haematology | DCH |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|--|--|
| 6. | Tuberculosis & Respiratory Medicine Pulmonary) Medicine | M.D. (Tuberculosis) M.D. (TB & Respiratory Disc./ M.D. (Medicine) with T.D.D., D.T.D., Or D.T.C.D./M.D. (TB & Chest Diseases) | T.D.D. D.T.D. D.T.C.D. |
| 7. | Psychiatry | M.D. (Psychiatry) M.D. (Psychological (One year course) Medicine)/M.D. in Medicine with Diploma in Psychological Medicine Diploma in Psychiatry (Edin) of two years course. Diploma in Psychiatry (Mc.Gill) University, Montreal, Canada of two years' course. | D.P.M. |
| 8. | Venerology | M.D. (Venereology) M.D. (Dermatology) & Venereology) MD. in Medicine with diploma in Venereology | D.V. |
| 9. | Dermatology | M.D. (Dermatology) M.D. (Dermatology & Venereology) M.D. in Medicine with diploma in Dermatology) | D.D. |
| 10. | Dermatology, Venereology and Leprosy | M.D. (Dermatology & Venereology)/ M.D. (Dermatology, Venereology & Leprosy)/ M.D. (Dermatology)/M.D. (Dermatology including Ven.)/M.D. (Dermatology including Ven./Lep.)/ M.D. (Medicine) with D.V.D. or D.D. | D.V.D., D.D.V.D.V. & D |
| 11. | General Surgery | M.S. (Surgery) M.S. (General Surgery) | |
| 12. | Orthopaedics | M.S. (Ortho) | D. Ortho. |
| 13. | Physical Medicine and Rehabilitation | M.D.(P.M.R.)/M.D.(Medicine) with Diploma in PMR/M.S.(General Surgery) M.S. (Orthopaedics) with two years special training in the Speciality) of Physical Medicine and Rehabilitation (Rehabilitation Medicine) or two years of equivalent training approved in the subject in any approved Institution in India. | |
| 14. | Ophthalmology | M.S. (Ophthalmology) M.D. (Ophthalmology) | D.O. D.O.M.S. |
| 15. | Oto-Rhino-Laryngology (ENT) | M.S.(Oto-Rhino-Laryngology) | D.I.O. |
| 16. | Obstetrics and Gynaecology | M.D. (Obstetrics & Gynae) M.S. (Obstetrics & Gynae) | D.O.R.L. D.G.O. |
| 17. | Maternity and Child Health | D.C.H./D.M.C.W. with M.D.(Obst.& Gynae) M.S. (Obst. & Gynae) M.D. (Mid & Gynaecology) M.S. (Mid & Gynaecology) M.D. (Obstetrics) M.D. M.R.C.O.G, M.D.(SPM) M.D. (Community Medicine) M.N.A.M.S. (Integrated MCH) Speciality Board of Obst. & Gynaecology (U SA) | D.M.C.W. |
| 18. | Radio-diagnosis | M.D. (Radio-diagnosis)/ M.D. (Radiology)/ M. S. (Radiology) | D.M.R.D. or equivalent diploma of one year duration |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|---|---|
| 19. Radio-Therapy | M.D. (Radio-Therapy)/M.D. (Radiology)/ M.S. (Radiology) Note : The persons who have done their M.D. in Radiology or Diploma in Radiology before 1985 will also be eligible to apply to the Post of Radio-diagnosis and Radio-Therapy. | D.M.R.T. or equivalent diploma of one year | |
| 20. Anesthesiology | M.D. (Anesthesiology)/ M.S. (Anesthesiology) | D.A. | |
| 21. Chest/Respiratory Diseases | M.D. Respiratory Diseases and T.B.O. Diploma National Board (Respiratory Diseases) | | |
| 22. Nuclear Medicine | M.D. (Nuclear Medicine)/ MD.(Radio-Therapy) with two years Experience in Nuclear Medicine in a recognized centre/ M.D.(Medicine)with DRM or DNM/M.D.(Radio-Diagnosis) with two Years experience in Nuclear Medicine in a recognized Centre/ M.D. (Bio-Physics)or its equivalent qualification in Bio-Physics with DRM or DNM or DNB in Nuclear Medicine with two years Experience in Nuclear Medicine in a Recognized Centre. | | |
| 23. Nutrition | M.D. in Biochemistry/Physiology/ Pathology/Medicine/Social and preventive Medicine/Community Medicine or Paediatrics with M.Sc. in applied Nutrition of special training for a period of one year. | | |
| 24. Human Metabolism | M.D. (Endocrinology) or M.D. (Medicine)/M.D.(Paed.) with two years special training in Endocrinology. | | |
| 25. Immuno Hematology and Blood Transfusion | D.M.(Immunology) or M.D. (immunolo- Haematology & Blood Transfusion M.D.(Pathology or Bacteriology or Hematology) with 2 years teaching experience or special training in the Deptt. of Immuno-Haematology & Blood Transfusion. | | |
| 26. Medical Genetics | D.M. (Medical Genetics)/ M.D. (Med. Genetics) M.D. (General Medicine) or M.D. (Paed.) or M.D.(Obst. & Gynae.) with two years special training in Medical Genetics. | | |
| 27. Family Medicine | M.D. (Family Medicine)/M.D. (General Medicine) | | |
| 28. Aviation Medicine/ Aerospace Medicine | M.D. (Aviation Medicine)/ M.D. (Aerospace Medicine) | | |
| 29. Geriatrics | M.D. (Family Medicine)/M.D. (General Medicine)/M.D. (Geriatrics) | | |
| 30. Health Administration | M.D. (Health Administration)/ M.D. (Hospital Administration)/ M. D. (Community Health Administration) | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-------------------------|---|---|
| 31. | Hospital Administration | M.D. (Hospital Administration)/ M.D. (Community Health Admn.)/ M.D. (Health Administration). | |
| 32. | Sports Medicine | M.D. (Sports Medicine)/ M.S. (Orthopaedics)/ M.D. (Physical Medicine & Rehabilitation)/ M.D. (Physiology) with 2 years experience in Sports Medicine. | |
| 33. | Tropical Medicine | M.D. (Tropical Medicine)/ M.D. (General Medicine)/ M.D. (Microbiology) Plus two years experience in clinical medicine. | |
| 34. | Rheumatology | M.D. (Rheumatology)/M.D. (Medicine) with 2 years experience in Rheumatology/ Immunology). | |
| 35. | Health Education | M.D. (Social & Prev. Med.)/ M.D. (Community Medicine)/ M.D. (Health Administration). | |
| 36. | Marine Medicine | M.D. (Physiology)/ M.D. (Medicine) with two years special training in Marine Medicine. | |
| 37. | Occupational Health | M.D. (Psychiatry)/M.D. (Phy. Med. & Rehab.)/M.S. (Orthopaedics). | |
| 38. | Radiological Physics | M.Sc. (Physics/Chem./Biophysics) with Ph.D (Physics/Chem./Biophysics). | |
| 39. | Virology | M. D. (Microbiology)/ M. D. (Pathology)/ M.D. (Medicine) with two years special Training in Virology M.Sc. (Medical Virology) with Ph.D in Virology. | |

(C) SUPER SPECIALITIES

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Medical Gastroenterology | D.M. (Medical Gastroenterology)/ D.M. (Gastroenterology)/ M.D. (Medicine) or M.D. (Paediatrics) with 2 years special training in Gastroenterology. |
| 2. | Neurology | D.M. (Neurology) |
| 3. | Endocrinology | D.M. (Endocrinology)/ M. D. (Medicine) or M.D. (Paediatrics) with 2 years special Training in Endocrinology. |
| 4. | Cardiology | D.M. (Cardiology) |
| 5. | Nephrology | D.M. (Nephrology) |
| 6. | Plastic Surgery & Reconstructive Surgery | M.Ch. (Plastic Surgery) M.Ch. (Plastic & Constructive Surgery) |
| 7. | Thoracic Surgery | M.Ch. (Thoracic Surgery) Or Speciality Board of Thoracic Surgery (USA) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---------------------------------------|---|---|
| 8. | Neuro-Surgery | M. Ch. (Neuro-Surgery) | |
| 9. | Paediatric Surgery | M.Ch. (Paediatric Surgery) | |
| 10. | Urology | M.Ch. (Urology) | |
| 11. | Cardio-Thoracic | M.Ch. (Cardio-Thoracic Surgery)/ M.Ch. (Thoracic Surgery) or Speciality Board of Thoracic Surgery (USA). | |
| 12. | Gastro-Intestinal Surgery | M.Ch. (Gastro-Intestinal Surgery) M.S. (General Surgery) with two years Special Training in a Department of G.I. Surgery. | |
| 13. | Cancer Surgery | M.Ch. (Cancer Surgery/Surgical Oncology) | |
| 14. | Cardio Vascular & Thoracic Surgery | M.Ch. (Cardio Vascular & Thoracic Surgery)/M.Ch. (Thoracic Surgery)/ M.Ch. (Cardio Surgery)/ M.Ch. (Vascular Surgery). | |
| 15. | Neonatology | O.M. (Neonatology)/ M.D. (Paediatrics) with two years Special Training in Neonatology. | |
| 16. | Clinical Haematology | D.M. (Clinical Haematology) M.D. (Medicine) or M.D. (Paediatrics) or M.D. (Pathology) with 2 years Special Training in Clinical Haematology. | |
| 17. | Clinical Pharmacology | D.M. (Clinical Pharmacology) M.D. (Pharmacology) with 2 years Special Training in Clinical Pharmacology. | |
| 18. | Immunology | D.M. (Immunology)/M.D. (Medicine) or M.D. (Pathology) or M.D. (Microbiology) or M.D. (Paediatrics) with two years Special Training in Immunology. | |
| 19. | Medical Genetics | D.M. (Medical Genetics)/ M.D. (Paediatrics) or M.D. (Medicine) or M.S. (Anatomy) with two years Special Training in Medical Genetics. | |
| 20. | Medical Oncology | D.M. (Medical Oncology)/ M.D. (Medicine) or M.D. (Radio-therapy) or M.D. (Paediatrics) with 2 years Special Training in Medical Oncology. | |
| 21. | Surgical Gastroenterology | M.Ch. (Surgical Gastroenterology)/ M.S. (Surgery) with 2 years Special Training in Surgical Gastroenterology. | |
| 22. | Surgical Oncology | M.Ch. (Surgical Oncology)/ M.S. (Surgery) or M.S. (E.N.T.) or M.S. (Orthopaedics) or M.D. (Obst. & Gynae) with 2 years Special Training in Surgical Oncology. | |

Note 1 : M.R.C.P./F.R.C.P., F.R.C.S. refers
to Diploma or Membership and Fellowship

1

2

3

4

awarded by all the Royal College of U.K. and Fellowship of Royal College of U.K. and Fellowship of Royal College of Canada.

Note 2 : Holders of Speciality Board of USA Qualifications should complete the entire requirements of the Board concerned.

Note 3 : Insofar as Post-graduate Medical Qualification awarded by Indian Universities are concerned, they should also find a place in the Schedule to the Indian Medical Council Act, 1956 as amended from time to time.

Note 4 : Member Academy of Medical Science MAMS.

(i) **Note :** This qualification shall be a recognized medical qualification as aforesaid only when granted on or after the 1st April, 1976 on the basis of the results of examination conducted (whether before or after the said date) by the National Academy of Medical Sciences, New Delhi on behalf of the National Board of Examinations, New Delhi and not when conferred as an Honorary Degree.

M.A.M.S. (Physiology)
 M.A.M.S. (General Surgery)
 M.A.M.S. (General Medicine)
 M.A.M.S. (Obst. & Gynae)
 M.A.M.S. (Oph.)
 M.A.M.S. (Social & Preventive Medicine)
 M.A.M.S. (Psychiatry)
 Membership of the National Academy of Medical Sciences
 M.N.A.M.S. (Physiology)
 M.N.A.M.S. (General Medicine)
 M.N.A.M.S. (General Surgery)
 M.N.A.M.S. (Obst. & Gynae)
 M.N.A.M.S. (Soc. & Prevo. Medicine)
 M.N.A.M.S. (Psychiatry)
 M.N.A.M.S. (Ophthalmology)

These qualifications shall be recognized medical qualifications as aforesaid only when granted on or after the Third April, 1977 on the basis of the result of examinations conducted (whether before or after the said date) by the National Academy of Medical Sciences, New Delhi on behalf of the National Board of Examinations, New Delhi and not when conferred as an honorary degree.

M.N.A.M.S. (Radio-Diagnosis)
 M.N.A.S. (Radio-Therapy)
 M.N.A.M.S. (Health Administration)

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the Government
 of NCT of Delhi

DIWAN CHAND, Addl. Secy

- Note 5 : In terms of Govt. of India. M/o Health & Family Welfare (Department of Health) Notification No. V. 110015/12/78-ME(Policy), dated 29-08-1978 the qualifications granted in United Kingdom shall be recognized medical qualifications only when granted on or before 11th November, 1978.
- Note 6 : Holders of equivalent Post-graduate qualifications are approved by the Medical Council of India from time to time will be considered to have requisite Post-Graduate qualification in the subject concerned.
- Note 7 : In case of qualifications in Super Specialties (M.Ch./D.M.), except in case of holders DM/M Ch. of five years' duration, the holder should have obtained M.D. (General Medicine) or M.S. (General Surgery) or an equivalent qualification as prescribed by the said Council in its recommendations on Post Graduate Medical Examination.
- Note 8 : This list is not exhaustive. The Controlling Authority in consultation with the Union Public Service Commission shall have the power to assign other qualifications to Part-A, B, C or D.